

राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014

[प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित]

नोट:- प्रवर समिति द्वारा लोपित समस्त सामग्री बड़े कोष्ठकों में दर्शायी गई हैं और अन्तः स्थापित नई सामग्री रेखांकित की गई है।

भू-स्वामियों और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को कम से कम बाधा पहुंचाते हुए, लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन के लिए उपबंध करने और उसकी प्रक्रिया शीघ्र निपटाने के लिए और उन व्यक्तियों को जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है, न्यायोचित और बेहतर प्रतिकर प्रदान करने के लिए और उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए मौद्रिक रूप से क्षतिपूर्ति करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के [पैंसठवें] छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.**- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख [को] से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **अधिनियम का लागू होना.**- (1) इस अधिनियम के उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब राज्य सरकार किसी भूमि का अर्जन लोक [प्रयोजनों के लिए] प्रयोजनार्थ अपने स्वयं के उपयोग, अधिकार या नियंत्रण के लिए या किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन निगम के उपयोग, अधिकार और नियन्त्रण के लिए करती है।

(2) इस अधिनियम के उपबंध उस दशा में भी लागू होंगे, जब राज्य सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:-

(क) जहां भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित बना रहता है, लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए;

(ख) लोक प्रयोजनार्थ, प्राइवेट कंपनियों के लिए,

भूमि का अर्जन करती है:

परन्तु,-

(i) प्राइवेट कंपनियों के लिए अर्जन की दशा में, हितबद्ध [व्यक्तियों] परिवारों के कम से कम अस्सी प्रतिशत की पूर्व सहमति; और

(ii) अवसंरचना परियोजनाओं को छोड़कर लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए अर्जन की दशा में, हितबद्ध [व्यक्तियों] परिवारों के कम से कम [सत्तर] साठ प्रतिशत की पूर्व सहमति,

विहित प्रक्रिया से अभिप्राप्त की जायेगी:

परन्तु यह भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अंतरण से संबंधित, ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में प्रचलित किसी विधि (किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय जो अंतिम हो गया है को सम्मिलित करते हुए) के उल्लंघन में कोई भी भूमि अर्जन के माध्यम से अंतरित नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण.- "अनुसूचित क्षेत्र" से संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथानिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है।

3. अवसंरचना परियोजनाओं के सिवाय सिंचित भूमि का अर्जित न किया जाना.- अवसंरचना परियोजनाओं के सिवाय कोई भी सिंचित या बहु-फसलीय भूमि इस अधिनियम के अधीन अर्जित नहीं की जायेगी।

4. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्राधिकरण" से धारा [24] 28 के अधीन स्थापित राजस्थान भूमि अर्जन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया कोई अधिकारी है;

(ग) "कंपनी" से अभिप्रेत है,-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) में यथापरिभाषित कोई कंपनी, जो खण्ड (घ) में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी से भिन्न हो;

- (ii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जो खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी सोसाइटी से भिन्न हो;
- (iii) राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी तत्समान विधि के अर्थान्तर्गत कोई सहकारी सोसाइटी, जो खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न हो।
- (घ) "राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगम" से किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई सरकारी कम्पनी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसी सोसाइटी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित या प्रशासित कोई सोसाइटी हो और राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटी संबंधी किसी तत्समान विधि के अर्थान्तर्गत कोई सहकारी सोसाइटी हो, कोई सहकारी सोसाइटी जिसमें कुल समादत्त शेयर पूंजी के पचास प्रतिशत हिस्से से अधिक राज्य सरकार द्वारा धारित किया जाता है, आती है;
- (ङ) किसी व्यक्ति के संबंध में "कार्य करने के लिए हकदार" के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति भी समझे जायेंगे, अर्थात्:-
- (i) किसी ऐसे मामले के प्रति निर्देश से फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के लिए न्यासी, उसी सीमा तक, जिस तक फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्ति उस दशा में कार्य कर सकता था, यदि वह निःशक्तता से ग्रस्त न होता;

- (ii) अवयवों के संरक्षक और पागलों के लिए सुपुर्ददार या प्रबंधक, उस सीमा तक, जिस तक अवयव, पागल या अन्य विकृत चित्त व्यक्ति स्वयं उस दशा में कार्य कर सकते थे, यदि वे निःशक्तता से ग्रस्त न होते:

परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की पहली अनुसूची के आदेश 32 के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में किसी वादमित्र द्वारा या मामले के संरक्षक द्वारा किसी कलक्टर या प्राधिकारी के समक्ष उपसंजात होने वाले हितबद्ध व्यक्तियों की दशा में, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे;

(च) "अवसंरचना परियोजना" से [अभिप्रेत है] कोई ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जिसमें-

- (i) कोई सड़क, जिसमें पथकर सड़क, ऐलिवेटेड सड़क, कोई पुल, कोई सुरंग, शहरी लोक परिवहन प्रणाली या कोई रेल प्रणाली शामिल है;
- (ii) राजमार्ग परियोजना का एकीकृत भाग होते हुए अन्य क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए कोई राजमार्ग;
- (iii) विमानपत्तन, अंतर्देशीय जलमार्ग या अंतर्देशीय पत्तन;
- (iv) जलप्रदाय, सिंचाई, संक्षुब्ध जल निकास व्यवस्था, जल संरक्षण या संग्रहण संरचना, जल उपचार प्रणाली, स्वच्छता और मलवहन प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली;
- (v) रेडियो पेजिंग, घरेलू सैटेलाइट (अर्थात् दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कम्पनी के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा प्रचालित सैटेलाइट), ट्रंकिंग का नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं को सम्मिलित करते हुए, दूरसंचार सेवाएं, चाहे वे बेसिक हों या सेल्यूलर;
- (vi) पर्यावरण और वन संरक्षण;
- (vii) ऊर्जा का उत्पादन या उत्पादन और वितरण;
- (viii) नयी पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर ऊर्जा का पारेषण या वितरण;

- (ix) तेल और गैस की पाईपलाईनें और टर्मिनल; और
- (x) ऐसी ही प्रकृति की कोई अन्य सुविधा जो सामाजिक और आर्थिक कार्यान्वयन और राज्य के विकास के लिए आवश्यक हो;
- (छ) "भूमि" के अंतर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें आती हैं;
- (ज) "स्थानीय प्राधिकारी" के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित कोई विकास प्राधिकरण (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये) आता है;
- (झ) "बाजार मूल्य" से धारा 13 के अधीन यथा अवधारित बाजार मूल्य अभिप्रेत है;
- (ञ) "हितबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन के मद्धे दिये जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं, और कोई व्यक्ति भूमि में हितबद्ध समझा जायेगा यदि वह भूमि पर प्रभाव डालने वाले सुखाचार में हितबद्ध है;
- (ट) "निजी कम्पनी" और "सरकारी कम्पनी" के अर्थ क्रमशः वही होंगे जो उन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) में दिये गये हैं;
- (ठ) "परियोजना" से ऐसी कोई परियोजना अभिप्रेत है जिसके लिए भूमि का अर्जन प्रभावित व्यक्तियों की संख्या को विचार में लिये बिना किया जा रहा है;
- (ड) "परियोजना प्रभावित [व्यक्तियों] परिवारों" से ऐसे [व्यक्ति] परिवार अभिप्रेत हैं जो परियोजना के लिए अर्जित की जा रही भूमि के कारण हितबद्ध हैं; और
- (ढ) "लोक प्रयोजन" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं-
- (i) ग्रामीण स्थलों का या विद्यमान ग्रामीण स्थलों के विस्तार, योजनाबद्ध विकास या सुधार का उपबंध;
 - (ii) ग्रामों, नगरों और शहरों के योजनाबद्ध विकास, जिसके अंतर्गत निर्धन और भूमिहीन या प्राकृतिक विपत्तियों से

प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, या सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी, या राज्य के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन निगम द्वारा किसी योजना के क्रियान्वयन के कारण विस्थापित या प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि उपलब्ध कराने के उपबंध; और इसमें राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की भागीदारी में या उसके द्वारा अनुज्ञात किसी संगठन द्वारा या सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा या राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अर्थात्गत किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किसी शैक्षिक, आवासन, स्वास्थ्य, गंदी बस्ती विकास या अन्य कल्याण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए भूमि का उपबंध भी सम्मिलित होगा;

- (iii) अवसंरचना परियोजनाओं का उपबंध;
- (iv) योजनाबद्ध शैक्षिक, औद्योगिक या वाणिज्यिक विकास के लिए, या खेल सुविधाओं जैसेकि स्टेडियम, ट्रैक, क्षेत्र, पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सुविधाएं और उसकी आनुषंगिक आवास एवं खानपान की सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपबंध;
- (v) सरकार की किसी स्कीम या नीति के अनुसरण में लोक निधियों से भूमि के योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि का उपबंध और आगे योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पट्टे, सुपुर्दगी या विक्रय द्वारा उसका पूर्णतः या भागतः पश्चात्त्वर्ती निपटान; और
- (vi) राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित विकास की अन्य किसी स्कीम के लिए भूमि का उपबंध।

“(ण) “परिवार” के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, उस पर आश्रित उसकी पत्नी या उसका पति, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई और अवयस्क बहिन आते हैं:

परंतु विधवाओं और विवाह-विच्छिन्न स्त्रियों और परिवारों द्वारा अधित्यजित स्त्रियों को पृथक परिवार माना जाएगा:

स्पष्टीकरण.- किसी भी लिंग के वयस्क व्यक्ति, चाहे उसकी पत्नी अथवा पति अथवा संतान या आश्रित हो या नहीं, को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक पृथक परिवार माना जाएगा।”

अध्याय 2

अर्जन

प्रारंभिक जांच

5. **प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन और ऐसा होने पर अधिकारियों की शक्तियां.-** (1) जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी परिक्षेत्र में की भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या होनी संभाव्य है तब उस भाव वाली एक अधिसूचना राजपत्र और उस परिक्षेत्र में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचारपत्रों, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी भाषा का होगा, में प्रकाशित की जायेगी, और कलक्टर ऐसी अधिसूचना के सारांश की लोक सूचना उक्त परिक्षेत्र में के सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवायेगा (ऐसे प्रकाशन की और ऐसी लोक सूचना देने की अंतिम तारीख, जिसे आगे अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा)।

(2) [तदुपरि] तदुपरान्त-

- (i) ऐसे परिक्षेत्र में की किसी भूमि में प्रवेश करना और उसका सर्वेक्षण करना और उसका तलमापन करना;
- (ii) अवमृदा के भीतर खोदना या वेधन करना;
- (iii) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या वह भूमि ऐसे प्रयोजन के अनुकूल है, आवश्यक अन्य समस्त कार्यों को करना;
- (iv) उस भूमि की, जिसे लेने की प्रस्थापना की गई है, सीमाएं और यदि वहां कोई संकर्म बनाये जाने की

प्रस्थापना है तो उस प्रस्थापित संकर्म की आशयित रेखा लगाना;

- (v) ऐसे तलमापन, ऐसी सीमाएं और रेखा चिह्न लगाकर और खाइयां खोदकर चिह्नित करना,

तथा, जहां कि अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता और तलमापन नहीं किया जा सकता और सीमाएं और रेखा चिह्नित नहीं की जा सकती वहां किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग को काटना और भूमि को साफ करना, राज्य सरकार द्वारा साधारण रूप से या विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिए और उसके सेवकों और कर्मकारों के लिए विधिपूर्ण होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के अपने आशय की कम-से-कम [सात] पन्द्रह दिवस की लिखित सूचना अधिभोगी को पहले ही दिए बिना किसी निर्माण के भीतर या निवास-गृह से संलग्न किसी घिरे आंगन या बाग में प्रवेश तब के सिवाय नहीं करेगा जबकि उसके अधिभोगी की ऐसा करने के लिए अनुज्ञा हो।

6. नुकसान के लिए संदाय.- वह अधिकारी जो ऐसे प्राधिकृत है, पूर्वोक्त जैसे पहुंचाए जाने वाले सारे आवश्यक नुकसान के लिए संदाय या संदाय की निविदा ऐसे प्रवेश के समय करेगा और इस प्रकार किये गये या निविदत्त संदाय की रकम की पर्याप्तता के संबंध में विवाद होने पर वह उस विवाद को तत्क्षण प्राधिकरण के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और उस पर प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

आक्षेप

7. आक्षेपों की सुनवाई.- (1) ऐसी किसी भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, जिस भूमि के संबंध में धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन यह अधिसूचित किया जा चुका है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता है या होनी संभाव्य है, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से [तीस] पैंतालीस दिवस के भीतर-भीतर, यथास्थिति, उस भूमि के या उस परिक्षेत्र में की किसी भूमि के अर्जन पर आक्षेप कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन हर आक्षेप लिखित रूप में कलक्टर से किया जायेगा और कलक्टर आक्षेपकर्ता को स्वयं या विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सारे आक्षेपों को सुनने के

पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, या तो उस भूमि की बाबत, जो धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित की गयी है, एक रिपोर्ट, या ऐसी भूमि के विभिन्न खण्डों की बाबत विभिन्न रिपोर्टें, जिसमें या जिनमें आक्षेपों के संबंध में उसकी सिफारिशें अन्तर्विष्ट होंगी, अपने द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख सहित, राज्य सरकार के विनिश्चय के लिए उसे देगा। आक्षेपों के संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

[(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वह व्यक्ति भूमि में हितबद्ध समझा जायेगा जो यदि इस अधिनियम के अधीन भूमि अर्जित हो गई तो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा।]

आशयित अर्जन की घोषणा

8. यह घोषणा कि भूमि लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है.-(1) जब राज्य सरकार का, धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन की गई किसी रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए किसी विशिष्ट भूमि की आवश्यकता है तब शासन सचिव के हस्ताक्षरों के अधीन ऐसे [भाव] आशय की घोषणा की जायेगी।

(2) धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन एक ही अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली [किसी] अधिसूचित भूमि के विभिन्न खण्डों की बाबत विभिन्न घोषणाएं समय-समय पर की जा सकेंगी, चाहे धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन (जहां भी अपेक्षित हो) एक रिपोर्ट दी गयी हो या विभिन्न रिपोर्टें दी गयी हों।

(3) ऐसी घोषणा तब तक के सिवाय नहीं की जायेगी [जबकि प्रस्तावित] जब तक कि अधिसूचित संपत्ति के लिए अधिनिर्णीत किया जाने वाला प्रतिकर कलक्टर के पास जमा [है] न हो जाये ।

(4) प्रत्येक घोषणा राजपत्र में और उस परिक्षेत्र, जिसमें भूमि स्थित है, में परिचालित दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में, जिनमें से [कम से कम] एक हिन्दी भाषा में एवं एक अंग्रेजी भाषा में होगा, में प्रकाशित की जायेगी, और कलक्टर ऐसी घोषणा के सारांश की [लोक] सार्वजनिक सूचना उस परिक्षेत्र में के सुविधापूर्ण स्थानों पर [दिलवायेगा]

संबंधित गांव की पंचायत या, यथास्थिति, नगरपालिका में, संबंधित जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार के कार्यालय पर प्रकाशित करवायेगा (ऐसे प्रकाशन की और ऐसी [लोक] सार्वजनिक सूचना देने की अंतिम तारीख, जिसे आगे घोषणा के प्रकाशन की तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा) और ऐसी घोषणा में वह जिला या अन्य प्रादेशिक खण्ड, जिसमें कि भूमि अवस्थित है, वह प्रयोजन जिसके लिए उस भूमि की आवश्यकता है, उसका लगभग क्षेत्रफल, और, जहां कि भूमि का कोई रेखांक बनाया गया हो वहां वह स्थान, जहां ऐसे रेखांक का निरीक्षण किया जा सकता है, कथित होगा।

(5) उक्त घोषणा इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगी कि उस भूमि की लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है और ऐसी घोषणा करने के पश्चात् राज्य सरकार इसमें इसके पश्चात् दी गयी रीति से उस भूमि का अर्जन कर सकेगी।

(6) इस प्रकार की प्रत्येक घोषणा, धारा 5 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर की जायेगी, यदि उस कालावधि के भीतर-भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, तो भूमि के अर्जन की सम्पूर्ण कार्यवाहियां व्यपगत हो जायेंगी।

स्पष्टीकरण.- उस कालावधि की संगणना करने में, जिसके दौरान धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसरण में की कोई कार्रवाई या कार्यवाही की जानी है, न्यायालय के आदेश द्वारा लगाई गई रोक, की अवधि अपवर्जित कर दी जायेगी।

9. भूमि का चिहनांकन, मापन और रेखांकन किया जायेगा.- कलक्टर तदुपरि उस भूमि का, तब के सिवाय जबकि धारा 5 के अधीन उसका चिहनांकन पहले ही हो गया है, चिहनांकन करवायेगा। वह उसका माप भी करवायेगा, और यदि उसका कोई रेखांक नहीं बनाया गया है तो उसका एक रेखांक बनवायेगा।

10. हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना.- (1) कलक्टर तब उस भूमि पर, जो ली जानी है, या उसके निकट सुविधापूर्ण स्थानों में इस बात का कथन करने वाली [लोक] सार्वजनिक सूचना [दिलवायेगा] प्रकाशित करवायेगा कि उस भूमि का कब्जा लेने का सरकार का आशय है और

ऐसी भूमि में के सारे हितों के लिए प्रतिकर के दावे उससे किये जा सकते हैं।

(2) ऐसी सूचना में उस भूमि की, जिसकी इस प्रकार आवश्यकता है, विशिष्टियों का कथन होगा और भूमि में सारे हितबद्ध व्यक्तियों से उसके द्वारा यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उसमें वर्णित समय (ऐसा समय सूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् वाले पन्द्रह दिवस से पूर्वतर का न होगा) और स्थान पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा कलक्टर के समक्ष उपसंज्ञात हों और भूमि में के अपने-अपने हितों का स्वरूप और ऐसे हितों के लिए प्रतिकर की रकम और प्रतिकर के अपने दावों की विशिष्टियां और धारा 5 या धारा 9 के अधीन किये गये माप पर अपने आक्षेप, यदि कोई हों, कथित करें। कलक्टर किसी भी मामले में इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा कथन लिखित रूप में किया जाये और पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।

(3) कलक्टर ऐसी किसी भूमि के अधिभोगी पर, यदि कोई हो, और जिस राजस्व जिले में भूमि अवस्थित है उसमें निवासी या उनके निमित्त तामील लेने के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता रखने वाले उन सब व्यक्तियों पर भी, जिनकी बाबत यह ज्ञात है या विश्वास है कि वे उसमें हितबद्ध हैं या ऐसे हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से कार्य करने के लिए हकदार हैं, उसी भाव वाली सूचना की तामील करायेगा।

(4) उस दशा में, जिसमें कि ऐसा कोई हितबद्ध व्यक्ति अन्यत्र निवास करता है, और उसका ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है, वह सूचना ऐसे पत्र द्वारा, जो उसके अंतिम ज्ञात निवास- स्थान, पते या कारबार के स्थान से उसको संबोधित है, स्पीड या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके पास भेजी जायेगी।

11. नामों और हितों के संबंध में कथन अपेक्षित और प्रवर्तित करने की शक्ति.- (1) कलक्टर, ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा भी कर सकेगा कि वह एक कथन, जिसमें सह-स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, बन्धकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा उस भूमि में या उसके किसी भाग में कोई हित रखने वाले ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति का नाम और ऐसे हित का स्वरूप और कथन की तारीख से पूर्ववर्ती पिछले तीन वर्षों में उसके मद्धे प्राप्त किये गये या प्राप्य भाटक और लाभ, यदि कोई

हों, यावत्साध्य अन्तर्विष्ट हैं, वर्णित समय (ऐसा समय उस अपेक्षा की तारीख के पश्चात् के पन्द्रह दिवस से पूर्वतर का न होगा) और स्थान पर उससे करे या उसे परिदत्त करे।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन कथन करने की या उसका परिदान करने की अपेक्षा की गई है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 175 और 176 के अर्थान्तर्गत ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जायेगा।

कलक्टर द्वारा मापों, मूल्य और दावों की जांच और अधिनिर्णय

12. कलक्टर द्वारा जांच और अधिनिर्णय.- (1) ऐसे नियत दिवस या किसी भी अन्य दिवस, जिसके लिए वह जांच स्थगित कर दी गयी है, कलक्टर उन आक्षेपों की, यदि कोई हों, जो धारा 10 के अधीन दी गयी सूचना के अनुसरण में किसी हितबद्ध व्यक्ति ने धारा 5 या धारा 9 के अधीन किये गये मापों की बाबत किये हैं और धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर भूमि के मूल्य की, और प्रतिकर के लिए दावा करने वाले व्यक्तियों के क्रमिक हितों की, जांच करने के लिए अग्रसर होगा और-

- (i) भूमि के सही क्षेत्रफल की बाबत;
- (ii) उस प्रतिकर की बाबत जो धारा 14 के अधीन अवधारित किया जाये; और
- (iii) जिन व्यक्तियों के संबंध में यह ज्ञात है या विश्वास किया जाता है कि वे भूमि में हितबद्ध हैं, उन सब व्यक्तियों में से उनमें, जिनके संबंध में या जिनके दावों के संबंध में उसे जानकारी है, भले ही वे उसके सामने उपसंजात हुए हों या नहीं, उक्त प्रतिकर के प्रभाजन की बाबत,

स्वहस्ताक्षरित अधिनिर्णय देगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कलक्टर द्वारा कोई अधिनिर्णय राज्य सरकार के या ऐसे अधिकारी के, जो राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दिया जायेगा:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार यह निदेश देने के लिए सक्षम होगी कि कलक्टर, ऐसे वर्ग के मामलों में, जैसाकि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, ऐसे अनुमोदन के बिना ऐसे अधिनिर्णय दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कार्यवाहियों की किसी अवस्था पर, यदि कलक्टर का यह समाधान हो जाता है कि उस भूमि से हितबद्ध सभी व्यक्ति जो उसके समक्ष उपसंजात हुए थे, के बीच राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्ररूप में कलक्टर के अधिनिर्णय में सम्मिलित किये जाने वाले मामलों पर लिखित करार हो जाता है तो वह और जांच किये बिना ऐसे करार के निबन्धनों के अनुसार अधिनिर्णय देगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन किसी भूमि के लिए प्रतिकर का अवधारण उसी परिक्षेत्र में या अन्यत्र अन्य भूमियों के संबंध में इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के अवधारण को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (2) के अधीन किया गया कोई भी करार उस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होगा।

13. कलक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण.- (1) कलक्टर, भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण और अवधारण करने में निम्नलिखित मानदंड अपनायेगा, अर्थात्:-

(क) उस क्षेत्र में, जहां भूमि स्थित है, विक्रय विलेखों या, यथास्थिति, विक्रय के करारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम भूमि मूल्य, यदि कोई हो; या

(ख) यदि ऐसा कोई भी मूल्य, जैसाकि खण्ड (क) में निर्दिष्ट है, किसी क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो निकटतम ग्राम या निकटतम सामीप्य के क्षेत्र में उसी प्रकार की भूमि के लिए विक्रय विलेखों या, यथास्थिति, विक्रय के लिए करारों के रजिस्ट्रीकरण के

लिए, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) के अधीन विनिर्दिष्ट है, न्यूनतम भूमि मूल्य, यदि कोई हो; और

(ग) यदि किसी क्षेत्र के संबंध में खण्ड (क) या खण्ड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसा कोई मूल्य उपलब्ध नहीं है तो निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत;

स्पष्टीकरण 1.- खण्ड (ग) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण, उस वर्ष के, जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन किये जाने की प्रस्थापना है, ठीक पूर्ववर्ती [तीन वर्षों] एक वर्ष के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों को हिसाब में रख कर किया जायेगा;

स्पष्टीकरण 2.- स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों की, जिनमें उच्चतम विक्रय कीमत का उल्लेख किया गया है, कुल संख्या के आधे को हिसाब में लिया जायेगा:

परन्तु जब खण्ड (ग) के अधीन औसत विक्रय की कीमत अवधारित की जायेगी, तब किसी पूर्व अवसर पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जित की जाने के लिए प्रतिकर के रूप में संदत्त की गयी कीमत को विचार में नहीं लिया जायेगा [:] ।

[परन्तु यह और कि यदि कलक्टर का यह समाधान हो जाता है कि किसी भूमि के विक्रय के किसी संव्यवहार में संदत्त किसी कीमत से वास्तविक विद्यमान बाजार मूल्य उपदर्शित नहीं है तो जब खण्ड (ग) के अधीन औसत विक्रय मूल्य अवधारित किया जायेगा तब वह ऐसी कीमत को हिसाब में नहीं लेगा।]

(2) बाजार मूल्य के अवधारण की तारीख वह होगी, जिस तारीख को धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की गयी है।

[14. प्रतिकर की रकम का अवधारण.- कलक्टर निम्नलिखित संघटकों को जोड़ते हुए, प्रतिकर की रकम की संगणना करेगा, अर्थात्:-

- (क) भूमि का बाजार मूल्य;
- (ख) भूमि के बाजार मूल्य को निम्नलिखित कारक से गुणा करके निकाली गयी रकम,-
- (i) (क) नगर बस्ती या नगरपालिक सीमाओं के अन्त से, जो भी अधिक हो, 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर-भीतर स्थित भूमि की दशा में, 1.25 से 2.5 का;
- (ख) पैरा (क) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से परे स्थित और राजस्व अभिलेख में उजाड़ भूमि, बाराणी या बंजर के रूप में वर्गीकृत भूमि की दशा में, 2.25 से 4.5 का;
- (ग) उपरोक्त पैरा (क) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से परे स्थित और राजस्व अभिलेख में सिंचित या बहु-फसली भूमि के रूप में वर्गीकृत भूमि की दशा में, 2.25 से 5.0 का, जैसाकि पैरा (क) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से भूमि की दूरी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये;
- (ii) नगर बस्ती या नगरपालिक सीमाओं के भीतर-भीतर स्थित भूमि की दशा में, 1.0 का;
- (ग) धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की कालावधि के लिए, भूमि के बाजार मूल्य पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित रकम;
- स्पष्टीकरण.-** खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में, ऐसी कोई कालावधि या कालावधियां, जिनके दौरान भूमि के अर्जन की कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश से किसी रोक या व्यादेश के कारण रोक दी गयी थीं, अपवर्जित की जायेंगी।

- (घ) खण्ड (क) से (ग) के अधीन अवधारित कुल रकम के एक सौ प्रतिशत के बराबर तोषण की रकम; और
- (ड) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर या क्षतिपूर्ति के माध्यम से, भूमि के संबंध में संदेय कोई अन्य रकम, यदि पहले अवधारित और संदत्त नहीं की गयी हो।]

14. प्रतिकर की रकम की अवधारणा.- कलक्टर निम्नलिखित संघटकों को जोड़ते हुए, प्रतिकर की रकम की संगणना करेगा, अर्थात्:-

(क)-

- (i) यदि भूमि नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित है, उस दशा में भूमि के बाजार मूल्य को कारक 1.25 से गुणा किया जायेगा; या
- (ii) यदि भूमि नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अन्त से पांच किमी की परिधि में स्थित भूमि की दशा में ऐसे कारक 1.25 से 2.5 से गुणा किया जावेगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे; या
- (iii) असिंचित भूमि की दशा में किसी नगर पालिका क्षेत्र या सीमा के अन्त से 5 किमी की परिधि के भीतर भूमि के बाजार मूल्य को ऐसे कारक 2.25 से 4.50 से गुणा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की दूरी के आधार पर अधिसूचित किया जाये; या
- (iv) सिंचित भूमि की दशा में नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अन्त के 5 किमी परिधि में स्थित भूमि के बाजार मूल्य को ऐसे कारक 2.5 से 5.0 से गुणा किया जावेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र से दूरी के आधार पर अधिसूचित किया जावे;

स्पष्टीकरण-1 नगर पालिका क्षेत्र से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खण्ड (xxxix) में परिभाषित क्षेत्र से है;

स्पष्टीकरण-2 सिंचित भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि जो राजस्व अभिलेख में सिंचित रूप से दर्ज है अथवा जिसमें खसरा गिरदावरी की प्रविष्टि के अनुसार प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व के गत 3 वर्षों में लगातार सिंचित करके फसल पैदा की गई हो;

- (ख) खडी फसलों, पेड़ों, भवनों, कुओं या भूमि से सम्बद्ध वस्तुओं का मूल्य;
- (ग) धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की कालावधि के लिए, भूमि के बाजार मूल्य पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित रकम;
- (घ) खण्ड (क) से (ग) के अधीन अवधारित कुल रकम के एक सौ प्रतिशत के बराबर तोषण की रकम; और
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर या क्षतिपूर्ति के माध्यम से, भूमि के संबंध में संदेय कोई अन्य रकम, यदि पहले अवधारित और संदत्त नहीं की गयी हो।

स्पष्टीकरण- खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कालावधि की गणना करने में, वह कालावधि जिसके दौरान, उक्त उद्घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली किसी कार्यवाही को न्यायालय के आदेश से स्थगित (स्टे) किया गया है तो वह कालावधि अपवर्जित की जायेगी।

15. वह अवधि, जिसके भीतर-भीतर अधिनिर्णय दिया जायेगा.- कलक्टर, धारा 8 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से [दो] एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर अधिनिर्णय देगा और यदि उस कालावधि के भीतर-भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि के अर्जन की सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वतः ही व्यपगत हो जायेगी:

परन्तु राज्य सरकार को [दो] एक वर्ष की कालावधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं:

परन्तु यह और कि कालावधि बढ़ाये जाने के ऐसे विनिश्चय को लेखबद्ध किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा में निर्दिष्ट [दो] एक वर्ष की कालावधि की गणना करने में, वह कालावधि जिसके दौरान, उक्त उद्घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्यवाही या कार्यवाही को न्यायालय के आदेश से [रोका] स्थगित (स्टे) किया गया है तो वह कालावधि अपवर्जित की जायेगी।

16. कलक्टर का अधिनिर्णय कब अंतिम होगा.- (1) ऐसा अधिनिर्णय कलक्टर के कार्यालय में फाइल किया जायेगा और इसमें इसके पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य, भले ही वे क्रमशः कलक्टर के समक्ष उपसंजात हुए हों या नहीं, भूमि के सही क्षेत्रफल और मूल्य का और हितबद्ध व्यक्तियों में प्रतिकर के प्रभाजन का अंतिम और निश्चायक साक्ष्य होगा।

(2) कलक्टर अपने अधिनिर्णय की सूचना हितबद्ध व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को तुरन्त देगा जो उस अधिनिर्णय के दिये जाने के समय स्वयं या अपने प्रतिनिधियों की मार्फत उपस्थित नहीं रहे हैं।

17. जांच का स्थगन.- कलक्टर, ऐसे किसी कारण से, जिसे वह उचित समझता है, जांच को समय-समय पर अपने द्वारा नियत दिवस तक के लिए स्थगित कर सकेगा।

18. लिपिकीय भूलों, इत्यादि का सुधार.- (1) कलक्टर, किसी भी समय, किन्तु अधिनिर्णय की तारीख से छह मास के अपश्चात्, या जहां उससे इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को निर्देश करने की अपेक्षा की गयी है वहां, ऐसा निर्देश करने से पूर्व, आदेश द्वारा, अधिनिर्णय में की किन्हीं लिपिकीय या गणितीय भूलों अथवा उसमें होने वाली गलतियों को, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, शुद्ध कर सकेगा:

परन्तु ऐसी कोई शुद्धि, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) कलक्टर इस प्रकार शुद्ध किये गये अधिनिर्णय की सूचना सभी हितबद्ध व्यक्तियों को तुरन्त देगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन की गयी शुद्धि के परिणामस्वरूप यह साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति को कोई अधिक रकम संदत्त कर दी गयी है, वहां इस प्रकार संदत्त अधिक रकम प्रतिदेय होगी और संदाय करने में कोई व्यतिक्रम या उससे इंकार किये जाने की दशा में, उसकी वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जा सकेगी।

19. साक्षियों को समन करने और उनकी हाजिरी और दस्तावेजों की पेशी प्रवर्तित करने की शक्ति.- कलक्टर को इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए यह शक्ति प्राप्त होगी कि उन्हीं साधनों द्वारा और यथाशक्य उसी रीति से, जो सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन उपबन्धित है, साक्षियों को, जिनके अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकार भी आते हैं या उनमें से किसी को समन कर ले, उनकी हाजिरी प्रवर्तित करा ले, या उन्हें दस्तावेजें पेश करने के लिए विवश करे।

20. अभिलेख आदि मंगाने की शक्ति.- राज्य सरकार, धारा 12 के अधीन कलक्टर द्वारा अधिनिर्णय दिये जाने से पूर्व किसी भी समय, किन्हीं कार्यवाहियों का, चाहे जांच के रूप में हों या अन्यथा, अभिलेख, किन्हीं निष्कर्षों या पारित आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगी और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी या ऐसा निदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे:

परन्तु राज्य सरकार, उस व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगी या ऐसा निदेश जारी नहीं करेगी जिससे उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

कब्जा करना

21. कब्जा करने की शक्ति.- जब कलक्टर ने धारा 12 के अधीन अधिनिर्णय दे दिया हो और धारा [50] 24 के अधीन प्रतिकर का संदाय कर दिया हो, तब वह भूमि पर कब्जा कर सकेगा जो ऐसा होने पर समस्त विल्लंगमों से रहित आत्यन्तिकतः सरकार में निहित हो जायेगी।

22. आत्ययिकता की दशा में विशेष शक्तियां.- (1) आत्ययिकता की दशाओं में जब कभी राज्य सरकार कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसा निदेश दे, तब यद्यपि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, कलक्टर, किसी ऐसी भूमि पर, जिसकी लोक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, कब्जा धारा 10 की उप-धारा (1) में वर्णित सूचना के

प्रकाशन से [पन्द्रह] तीस दिवस के अवसान पर कर सकेगा। ऐसा होने पर ऐसी भूमि समस्त विल्लंगमों से रहित आत्यन्तिकतः सरकार में निहित हो जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की दशा में कलक्टर हितबद्ध व्यक्तियों को ऐसी भूमि पर की खड़ी फसलों और वृक्षों और भवनों या अन्य किसी संबद्ध वस्तु के लिए, यदि कोई हो, और अकस्मात् बेकब्जा होने से कारित ऐसे किसी अन्य नुकसान के लिए, जो उन्होंने उठाया है, प्रतिकर देने की प्रस्थापना कब्जा करने के समय करेगा और यदि ऐसी प्रस्थापना प्रतिगृहीत नहीं की जाती तो भूमि के लिए प्रतिकर इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन अधिनिर्णीत करने में ऐसी फसलों और वृक्षों का मूल्य और ऐसे अन्य नुकसान की रकम भी गणना में ली जायेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किसी भूमि का कब्जा करने से पूर्व, उप-धारा (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलक्टर,-

(क) इसके लिए हितबद्ध और हकदार व्यक्ति को, ऐसी भूमि, जो उसके द्वारा प्राक्कलित हो, के लिए प्रतिकर के अस्सी प्रतिशत का संदाय निविदत्त करेगा; और

(ख) जब तक धारा [50] 24 में उल्लिखित एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा निवारित न किया जाये, उन्हें इसका संदाय करेगा और जहां कलक्टर ऐसे निवारित होता है, वहां धारा [50] 24 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे जैसेकि वे उस धारा के अधीन प्रतिकर के संदाय पर लागू होते हैं।

(4) उप-धारा (3) के अधीन संदत्त या निक्षिप्त रकम, धारा [50] 24 के अधीन निविदत्त की जाने के लिए अपेक्षित प्रतिकर की रकम के अवधारण करने के संबंध में गणना में ली जायेगी और जहां ऐसी संदत्त या निक्षिप्त रकम, धारा 12 के अधीन कलक्टर द्वारा दिये गए प्रतिकर की रकम से बढ़ जाती है, वहां ऐसी बढ़ी हुई रकम का, कलक्टर द्वारा दिये जाने की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

(5) किसी ऐसी भूमि की दशा में, जिस पर राज्य सरकार की राय में, उप-धारा (1) के उपबन्ध लागू होते हैं, राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि धारा 7 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, और, यदि वह ऐसा निदेश देती है तो धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय उस भूमि के संबंध में धारा 8 के अधीन घोषणा की जा सकेगी।

अध्याय 3

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

[23. भूमि अर्जन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन.- जहां इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जित की गयी है, वहां धारा 14 के अधीन अवधारित की गयी प्रतिकर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर एकमुश्त रकम, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वासन लागत के रूप में संदत्त की जायेगी:

परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा सड़क, ऊर्जा, सिंचाई, पेयजल या पर्यावरण और वनों की सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना के सृजन के प्रयोजनों से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित की जाती है वहां, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासन लागत के अतिरिक्त धारा 14 के अधीन अवधारित प्रतिकर की रकम के बीस प्रतिशत के बराबर रकम प्रोत्साहन के रूप में संदत्त की जायेगी:

परन्तु यह और कि जहां अर्जन की प्रक्रिया सम्पूर्ण गांव, या कई गांवों को विस्थापित करती है, वहां, यदि परियोजना प्रभावित व्यक्ति ऐसी इच्छा रखते हैं और ऐसा किया जाना संभव हो तो, किसी वैकल्पिक भूमि पर, अधिमानतः किसी नदी या किसी नहर के कमान क्षेत्र में, या परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के मूल गांव से जितना संभव और साध्य हो सामीप्य की भूमि पर, राज्य सरकार, विकल्प के रूप में, ऐसे गांव या यथास्थिति, गांवों की पुनर्व्यवस्था के लिए, प्रयास करेगी:

परन्तु यह भी कि जहां भूमि किसी प्राइवेट कम्पनी के लिए अर्जित की जाती है, वहां परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पास यह विकल्प होगा कि या वे तो धारा 14 के अधीन अवधारित की गयी प्रतिकर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर, पुनर्व्यवस्थापन और

पुनर्वासन की लागत के रूप में एकमुश्त रकम और प्रथम परन्तुक के अधीन संदेय बीस प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें, या बीस वर्षों के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमास की वार्षिकी या सात लाख पचास हजार रुपये प्रति व्यक्ति का एक बारीय परिनिर्धारण प्राप्त करें।]

23. भूमि अर्जन द्वारा प्रभावित परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन.- (1) राज्य सरकार द्वारा सड़क, ऊर्जा, सिंचाई, पेयजल या पर्यावरण और वन की सुरक्षा से संबंधित आधारभूत परियोजना हेतु भूमि अवाप्त करने की स्थिति में परियोजना प्रभावित परिवार को धारा 14 के अधीन अवधारित मुआवजे की रकम के 10 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त रकम पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लागत के रूप में देय होगी अथवा विकल्प देने पर “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30) की द्वितीय अनुसूची में वर्णित परिलाभों के बराबर रकम देय होगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा सड़क, ऊर्जा, सिंचाई, पेयजल या पर्यावरण और वन की सुरक्षा से संबंधित आधारभूत परियोजना से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि अवाप्त करने की स्थिति में परियोजना प्रभावित परिवार को धारा 14 के अधीन अवधारित मुआवजे की रकम के 30 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त रकम पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लागत के रूप में देय होगी अथवा विकल्प देने पर “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30) की द्वितीय अनुसूची में वर्णित परिलाभों के बराबर रकम देय होगी।

(3) जहां राज्य सरकार द्वारा भूमि किसी प्राइवेट कम्पनी के लिए अवाप्त की जाती है, वहां परियोजना प्रभावित परिवारों के पास यह विकल्प होगा कि:-

- (i) धारा 14 के अधीन निर्धारित किये गये मुआवजे की रकम के तीस प्रतिशत के बराबर, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वासन की लागत के रूप में एकमुश्त रकम प्राप्त करे; या
- (ii) बीस वर्षों के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह की वार्षिकी, जिसमें पांच हजार रुपये की मूल रकम के पांच प्रतिशत की रकम के बराबर प्रतिवर्ष की वृद्धि की जायेगी, प्राप्त करे; या
- (iii) दस लाख रुपये की एकमुश्त रकम प्राप्त करे:

परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त, जहां ऐसी अवाप्त भूमि पर निजी कंपनियों द्वारा परियोजना स्थापित की जाये, वहां अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होने पर प्राथमिकता के आधार पर परियोजना प्रभावित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को, उपलब्धतानुसार, नियोजित किया जायेगा और जहां ऐसी परियोजना के लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता हो वहां परियोजना प्रभावित परिवार में प्रत्येक के कम से कम एक सदस्य को, उनके द्वारा नियोजन की न्यूनतम अर्हता की पूर्ति की जाने के अधीन, कुल नियोजन के दस प्रतिशत की सीमा तक, प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) जहां अवाप्ति की प्रक्रिया किसी सम्पूर्ण गांव या कई गावों को विस्थापित करती है, वहां जिला कलक्टर राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से, वैकल्पिक रूप से ऐसे गांव या, यथास्थिति, गांवों का, यदि परियोजना प्रभावित परिवार ऐसा चाहे और ऐसा किया जाना सम्भव हो तो पूर्व रिक्ता के आधार पर किसी नदी या नहर के कमाण्ड क्षेत्र में, या प्रभावित गांव से यथासम्भव समिपस्थ और साध्य किसी वैकल्पिक भूमि पर पुनर्व्यावस्थापन करेगा।

अध्याय [6] 4

संदाय

[50] 24. **प्रतिकर का संदाय या उसका प्राधिकरण में निक्षेप.-** (1) धारा 12 के अधीन कोई अधिनिर्णय करने पर कलक्टर उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर के लिए हकदार हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय उन्हें एक सार्वजनिक सूचना देकर निविदत्त करेगा और जब तक कि वे उप-धारा (2) में वर्णित आकस्मिकताओं में से किसी एक या अधिक द्वारा निवारित न हुए हों, प्रतिकर का संदाय करेगा।

(2) यदि वे उसे लेने के लिए सम्मत नहीं हैं या यदि वे उप-धारा (1) के अधीन सार्वजनिक सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहते हैं, या यदि भूमि का अन्य-संक्रामण करने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या यदि प्रतिकर लेने के हक के संबंध में या उसके प्रभाजन के संबंध में कोई विवाद है तो कलक्टर प्रतिकर की रकम प्राधिकरण में निक्षिप्त कर देगा:

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसकी बाबत यह स्वीकार कर लिया गया है कि वह हितबद्ध है, रकम की पर्याप्तता संबंधी अभ्यापत्ति के अधीन ऐसा संदाय ले सकेगा:

परन्तु यह भी कि जो कोई व्यक्ति वह रकम अभ्यापत्ति के अधीन लेने से अन्यथा ले चुका है वह धारा [37] 41 के अधीन कोई आवेदन करने का हकदार नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत पूरा प्रतिकर या उसका कोई भाग प्राप्त करे, ऐसे दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो उसे उसके विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति को देने का है।

(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कलक्टर किसी भूमि के मद्धे धन-प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के बजाय ऐसे व्यक्ति से, जिसका ऐसी भूमि में परिसीमित हित है, या तो विनिमय में अन्य भूमियों के अनुदान द्वारा, या उसी हक के अधीन धृत अन्य भूमियों पर भू-राजस्व के परिहार द्वारा या ऐसी अन्य रीति से, जैसी सम्पृक्त पक्षकारों के हितों का ध्यान रखकर साम्यापूर्ण हो, कोई ठहराव राज्य सरकार की मंजूरी से कर सकेगा।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कलक्टर किसी भूमि के मद्धे धन-प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की बजाय ऐसे व्यक्ति से प्रतिकर के बदले में, विकसित भूमि, या भागतः विकसित भूमि और भागतः धन-प्रतिकर, के अनुदान द्वारा, ऐसे अनुपातों में और मामलों की ऐसे वर्ग में जो राज्य सरकार इस संबंध में नियमों द्वारा विहित करे, कोई ठहराव राज्य सरकार की मंजूरी से कर सकेगा।

(5) उप-धारा (3) या उप-धारा (4) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह भूमि में हितबद्ध और उसके संबंध में संविदा करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति के साथ कोई ठहराव करने की कलक्टर की शक्ति में कोई हस्तक्षेप करती है या उसे परिसीमित करती है।

[51] 25. अन्य-संक्रामण करने के लिए अक्षम व्यक्ति की भूमियों की बाबत जमा किये गये धन का विनिधान.- (1) यदि कोई धन धारा [50] 24 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण में जमा किया

जाता है और यह प्रतीत होता है कि वह भूमि, जिसकी बाबत वह अधिनिर्णीत किया गया था, ऐसे किसी व्यक्ति की है जिसे उसका अन्य-संक्रामण करने की शक्ति नहीं थी तो प्राधिकरण-

- (क) वैसे ही हक और स्वामित्व की ऐसी शर्तों के अधीन, जिनके अधीन वह भूमि धारित की गयी थी जिसकी बाबत ऐसा धन जमा किया गया हो, धारित की जाने वाली अन्य भूमियों के क्रय में; या
- (ख) यदि ऐसा क्रय तत्क्षण न किया जा सकता हो तो ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में जिनकी राज्य सरकार के मुख्य सचिव, राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रभारी सचिव और इन दोनों द्वारा नामनिर्देशित एक विनिधान विशेषज्ञ से मिलकर बनी समिति, सिफारिश करे,

उस धन का विनिधान किये जाने का आदेश देगा और यह निदेश देगा कि ऐसे विनिधान से उद्भूत होने वाले ब्याज या अन्य आगमों का संदाय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो उक्त भूमि पर कब्जा करने के हकदार तत्समय हों, किया जाये और ऐसे धन इस प्रकार तब तक निक्षिप्त और विनिहित रहेंगे जब तक वे-

- (i) पूर्वोक्तानुसार ऐसी अन्य भूमियों का क्रय करने में; या
- (ii) उसके लिए पूर्णतः हकदार होने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय करने में,

उपयोजित न किये जायें।

(2) जमा किये गये धन के सभी मामलों में, जिनको यह धारा लागू होती है, प्राधिकरण निम्नलिखित मामलों के खर्चों का, अर्थात्:-

- (क) यथापूर्वोक्त ऐसे विनिधानों के खर्चों का;
- (ख) ऐसी प्रतिभूतियों के, जिनमें ऐसे धन का तत्समय विनिधान किया गया है, ब्याज या अन्य आगमों के संदाय के लिए और ऐसे मूलधन का प्राधिकरण के बाहर के संदाय आदेशों के और जो उनसे संबंधित सभी कार्यवाहियों के, उनको छोड़कर, जो परस्पर विरोधी दावेदारों के बीच मुकदमेबाजी द्वारा हुए हों, खर्चों का,

जिनके अंतर्गत उनमें के सभी युक्तियुक्त प्रभार और उसके आनुषंगिक व्यय भी हैं, संदाय कलक्टर द्वारा किये जाने का आदेश देगा।

[52] **26. अन्य मामलों में जमा किये गये धन का विनिधान.-** जब अंतिम पूर्ववर्ती धारा में वर्णित हेतुकों से भिन्न किसी हेतुक के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण में कोई धन जमा किया गया है, तब प्राधिकरण, ऐसे धन में हितबद्ध या किसी हित का दावा करने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पर उसका ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में, उसी रीति से जो अंतिम पूर्ववर्ती धारा में विनिर्दिष्ट है, विनिधान करने और ऐसी रीति से संदाय करने का आदेश कर सकेगा, जिससे उसके विचार में उसमें हितबद्ध पक्षकारों को वही या यथाशक्य उसके निकटतम फायदा देगा, जो ऐसी भूमि से, जिसकी बाबत ऐसा धन जमा किया गया है, उन्हें हुआ होता।

[53] **27. ब्याज का संदाय.-** जब ऐसे प्रतिकर की रकम भूमि का कब्जा लेने पर या उसके पूर्व संदत्त या जमा नहीं की जाती है, तो कलक्टर अधिनिर्णीत रकम का, ऐसा कब्जा लेने के समय से उस समय तक जब उसका इस प्रकार संदाय या उसे जमा नहीं करा दिया जाता है, [नौ] बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित, संदाय करेगा [:] ।

[परन्तु यदि ऐसे प्रतिकर या उसके किसी भाग का, उस तारीख से, जिसको कब्जा लिया जाता है, एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर संदाय या उसे जमा नहीं किया जाता है, तो प्रतिकर की ऐसी रकम या उसके भाग पर, जो ऐसी समाप्ति की तारीख से पूर्व संदत्त या जमा नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा।]

अध्याय [4] 5

राजस्थान भूमि अर्जन प्राधिकरण

[24] **28. भूमि अर्जन प्राधिकरण की स्थापना.-** राज्य सरकार भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, "राजस्थान भूमि अर्जन प्राधिकरण" के नाम से प्राधिकरण की स्थापना

करेगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

[25] **29. प्राधिकरण की संरचना.-** प्राधिकरण में केवल एक व्यक्ति होगा। राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

[26] **30. पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं.-** (1) कोई व्यक्ति प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह ऐसा जिला न्यायाधीश न हो या न रहा हो जिसे इस रूप में कम से कम [दस] पाँच वर्ष का अनुभव हो, या कम से कम [बीस] बारह वर्ष तक प्रशासनिक अधिकारी न रहा हो और राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का अनुभव न रखता हो।

(2) जहां कोई सेवारत जिला न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना हो, वहां राज्य सरकार, ऐसी नियुक्ति से पूर्व, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगी।

[27] **31. पीठासीन अधिकारी की पदावधि.-** प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की कालावधि के लिए या उसके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

[28] **32. प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द.-** (1) राज्य सरकार, प्राधिकरण को एक रजिस्ट्रार तथा उतने अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी, जितने वह ठीक समझे।

(2) प्राधिकरण का रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के साधारण अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) प्राधिकरण के रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

[29] **33. पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें.-** प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें,

जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं, वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें:

परन्तु पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् न तो उसके वेतन और भत्तों में और न ही उसकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसके लिए अलाभप्रद रूप में परिवर्तन किया जायेगा।

[30] 34. रिक्तियों का भरा जाना.- यदि प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में, अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से कोई रिक्ति होती है तो राज्य सरकार, उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगी और प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जारी रखी जा सकेंगी, जिस प्रक्रम पर वह रिक्ति भरी जाती है।

[31] 35. त्यागपत्र और हटाया जाना.- (1) प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परन्तु पीठासीन अधिकारी, जब तक राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद शीघ्र त्यागने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या अपने उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा।

(2) प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या भारत सरकार के सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी द्वारा ऐसी जांच किये जाने के पश्चात्, जिसमें संबंधित पीठासीन अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और इन आरोपों के संबंध में सुने जाने का उसे युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये आदेश से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(3) राज्य सरकार, नियमों द्वारा, पूर्वोक्त पीठासीन अधिकारी के कदाचार या अक्षमता की जांच के लिए प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी।

[32] 36. प्राधिकरण का गठन करने संबंधी आदेशों का अंतिम होना और उनसे उसकी कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.- प्राधिकरण

के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने संबंधी राज्य सरकार के किसी भी आदेश को किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जायेगा, और प्राधिकरण के समक्ष की किसी कार्रवाई या कार्यवाही को मात्र इस आधार पर किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि प्राधिकरण के गठन में कोई त्रुटि है।

[33] 37. प्राधिकरण की शक्तियां और उसके समक्ष प्रक्रिया.- (1) प्राधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विषयों की बाबत वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक सामग्री का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना;
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
- (घ) किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;
- (ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
- (च) अपने विनिश्चयों, निदेशों या आदेशों का पुनर्विलोकन करना;
- (छ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाये।

(2) प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन उसे किये गये प्रत्येक निर्देश पर न्यायनिर्णयन करने की आरंभिक अधिकारिता होगी।

(3) प्राधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए मार्गदर्शित होगा।

(4) प्राधिकरण, निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् और ऐसे निर्देश की सूचना संबंधित सभी पक्षकारों को देने के पश्चात् तथा सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश का उसकी

प्राप्ति की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर निपटारा करेगा और तदनुसार अधिनिर्णय करेगा।

(5) प्राधिकरण ऐसे अधिनिर्णय की तारीख से पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर संबंधित पक्षकारों को अधिनिर्णय की प्रतियां परिदत्त करने की व्यवस्था करेगा और अधिनिर्णय की प्रति अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा।

[34] 38. प्राधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना.- प्राधिकरण के समक्ष की सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थातर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझा जायेगा और प्राधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

[35] 39. प्राधिकरण के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना.- पीठासीन अधिकारी और अधिकारियों, जिनमें प्राधिकरण के कर्मचारीवृन्द शामिल हैं, को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थातर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

[36] 40. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जित होना.- किसी भी सिविल न्यायालय को (जो संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से भिन्न हो) भूमि अर्जन से संबंधित ऐसे किसी विवाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसकी बाबत कलक्टर या प्राधिकरण इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सशक्त है, और किसी ऐसे मामले की बाबत किसी न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायेगा।

[37] 41. प्राधिकरण को (रेफरेंस) निर्देश.- (1) ऐसा कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर को लिखित आवेदन करके यह अपेक्षा कर सकेगा कि कलक्टर द्वारा, उस मामले को चाहे उसका आक्षेप भूमि के माप के प्रति, प्रतिकर की रकम के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जिसको वह संदेय है, या हितबद्ध

व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के प्रभाजन के प्रति हो, प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्देशित किया जाये:

परन्तु कलक्टर, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर प्राधिकरण को निर्देश करेगा:

परन्तु यह और कि जहां कलक्टर ऐसा (रेफरेंस) निर्देश इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर करने में असफल रहता है, वहां आवेदक, प्राधिकरण को उससे यह अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकेगा कि कलक्टर को तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर प्राधिकरण को निर्देश करने का निदेश दिया जाये।

(2) आवेदन में उन आधारों का कथन होगा, जिन पर अधिनिर्णय के प्रति आक्षेप किया गया है:

परन्तु ऐसा प्रत्येक आवेदन,-

(क) यदि उसे करने वाला व्यक्ति उस समय कलक्टर के समक्ष, जब उसने अपना अधिनिर्णय दिया था, उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था तो कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह सप्ताह के भीतर-भीतर किया जायेगा;

(ख) अन्य मामलों में, धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन कलक्टर से सूचना की प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर-भीतर या कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर, इनमें से जो भी कालावधि पहले समाप्त हो, किया जायेगा।

[38] 42. प्राधिकरण को कलक्टर का कथन.- (1) कलक्टर, निर्देश करने में, प्राधिकरण की जानकारी के लिए निम्नलिखित के बारे में स्वहस्ताक्षरित लिखित कथन करेगा-

(क) भूमि की, उस पर किन्हीं भी वृक्षों, भवनों, खड़ी फसलों की विशिष्टियों सहित, अवस्थिति और सीमा;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम, जिनके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे ऐसी भूमि में हितबद्ध हैं;

- (ग) धारा 6 और 22 के अधीन नुकसानियों के लिए अधिनिर्णीत और संदत्त या निविदत्त रकम और धारा 12 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम;
- (घ) धारा 22 की उप-धारा (3) के अधीन संदत्त या जमा की गयी रकम; और
- (ङ) यदि आक्षेप प्रतिकर की रकम के प्रति है तो वे आधार, जिन पर प्रतिकर की रकम अवधारित की गयी थी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कथन में हितबद्ध व्यक्तियों पर तामील की गयी सूचनाओं और उनके द्वारा लिखित में किये गये या परिदत्त कथनों की विशिष्टियां देते हुए एक अनुसूची अन्तर्विष्ट होगी।

[39] 43. प्राधिकरण द्वारा सूचना की तामील.- प्राधिकरण, तदुपरांत वह दिवस विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसको प्राधिकरण आक्षेप का अवधारण करने के लिए कार्यवाही करेगा, और उस दिवस को, प्राधिकरण के समक्ष उनकी उपस्थिति का निदेश देते हुए सूचना की तामील निम्नलिखित व्यक्तियों पर करायेगा, अर्थात्:-

- (क) आवेदक पर;
- (ख) आक्षेप में हितबद्ध सभी व्यक्तियों पर, उनमें से ऐसे व्यक्तियों के सिवाय, यदि कोई हों, जो अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय अभ्यापत्ति किये बिना प्राप्त करने के लिए सहमत हो गये हैं; और
- (ग) यदि आक्षेप भूमि के क्षेत्रफल या प्रतिकर की रकम के संबंध में है तो कलक्टर पर।

[40] 44. कार्यवाहियों की परिधि पर निर्बंधन.- ऐसी प्रत्येक कार्यवाही में जांच की परिधि को, आक्षेप से प्रभावित व्यक्तियों के हित पर विचार किये जाने तक निर्बंधित किया जायेगा।

[41] 45. कार्यवाहियों का सार्वजनिक होना.- प्रत्येक ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक रूप से की जायेगी और राज्य में किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार सभी व्यक्ति ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने, अभिवाक् करने और यथास्थिति, कार्य करने के लिए हकदार होंगे।

[42] **46. प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णय का अवधारण.-** अर्जित की गयी भूमि के लिए अधिनिर्णीत किये जाने वाले प्रतिकर की रकम का, जिसके अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियां भी हैं, अवधारण करने में प्राधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि आया कलक्टर ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिये हुए मापदंडों का पालन किया है और धारा 14 के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर और धारा 23 के उपबंधों के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी का अवधारण करेगा।

[43] **47. अधिनिर्णय का प्ररूप.-** (1) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अधिनिर्णय लिखित में और प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसमें अधिनिर्णीत रकम उक्त रकम अधिनिर्णीत करने के आधारों सहित विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की धारा 2 के खण्ड (2) और खण्ड (9) के अर्थात्तर्गत प्रत्येक ऐसे अधिनिर्णय को क्रमशः डिक्री तथा ऐसे प्रत्येक अधिनिर्णय के आधारों के कथन को निर्णय समझा जायेगा।

[44] **48. खर्च.-** (1) प्रत्येक ऐसे अधिनिर्णय में, इस अध्याय के अधीन कार्यवाही में उपगत खर्चों की रकम का और उन व्यक्तियों का, जिनके द्वारा और उन अनुपातों का, जिनमें उनका संदाय किया जाना है, कथन भी होगा।

(2) जब कलक्टर के अधिनिर्णय को मान्य नहीं ठहराया जाता है तो खर्च का, जब तक कि प्राधिकरण की यह राय न हो कि आवेदक का दावा बहुत की अपरिमित है या उसने कलक्टर के समक्ष अपना मामला रखने में बहुत उपेक्षा बरती कि उसके खर्चों से कुछ कटौती की जानी चाहिए या उसे कलक्टर के खर्चों के कुछ भाग का संदाय करना चाहिए, संदाय साधारणतया कलक्टर द्वारा किया जायेगा।

[45] **49. कलक्टर को आधिक्य प्रतिकर पर ब्याज का संदाय करने का निदेश दिया जाना.-** यदि ऐसी राशि, जो प्राधिकरण की राय में, कलक्टर द्वारा प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की हुई होनी चाहिए थी, उस राशि से अधिक है, जो कलक्टर ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है तो प्राधिकरण के अधिनिर्णय में यह निदेश दिया जा सकेगा कि

कलक्टर द्वारा ऐसे आधिक्य पर उस तारीख से, जिसको उसने भूमि का कब्जा लिया था, ऐसे आधिक्य का प्राधिकरण को संदाय किये जाने की तारीख तक, नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का संदाय किया जाये:

परन्तु प्राधिकरण के अधिनिर्णय में यह भी निदेश हो सकेगा कि जहां ऐसे आधिक्य या उसके किसी भाग का उस तारीख से, जिसको कब्जा लिया गया था, एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् प्राधिकरण को संदाय किया जाता है, वहां ऐसे आधिक्य की रकम या उसके भाग पर, जिसका ऐसी समाप्ति की तारीख के पूर्व प्राधिकरण को संदाय नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा।

[46] 50. प्राधिकरण के अधिनिर्णय के आधार पर प्रतिकर की रकम का पुनःअवधारण.- (1) जहां इस अध्याय के अधीन किसी अधिनिर्णय में, प्राधिकरण, आवेदक को धारा 12 के अधीन कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम से अधिक प्रतिकर की कोई रकम अनुज्ञात करता है, वहां धारा 5 के अधीन उसी प्रारंभिक अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली सभी अन्य भूमियों में हितबद्ध व्यक्ति और जो कलक्टर के अधिनिर्णय से व्यथित भी हैं, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने कलक्टर को कोई आवेदन नहीं किया था, प्राधिकरण के अधिनिर्णय की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर कलक्टर को लिखित आवेदन करके यह अपेक्षा कर सकेंगे कि उनको संदेय प्रतिकर की रकम का, प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम के आधार पर, पुनः अवधारण किया जाये:

परन्तु तीन मास की कालावधि की, जिसके भीतर-भीतर इस उप-धारा के अधीन कलक्टर को आवेदन किया जायेगा, संगणना करने में उस दिवस को, जिसको प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णय सुनाया गया था और उस समय को, जो अधिनिर्णय की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय हो, अपवर्जित किया जायेगा।

(2) कलक्टर, उप-धारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचना देने और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जांच करेगा और आवेदकों को संदेय प्रतिकर की रकम का अवधारण करने संबंधी अधिनिर्णय करेगा।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उप-धारा (2) के अधीन अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर को लिखित आवेदन करके यह अपेक्षा कर सकेगा कि कलक्टर द्वारा मामले को प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्देशित किया जाये।

[47] 51. उच्च न्यायालय को अपील.- (1) धारा [42] 46 के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, अधिनिर्णय की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर उच्च न्यायालय को अपील फाइल कर सकेगा:

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त कालावधि के भीतर-भीतर अपील फाइल न करने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा था तो वह साठ दिवस से अनधिक की अतिरिक्त कालावधि के भीतर-भीतर उसके फाइल किये जाने को अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रत्येक अपील की सुनवाई यथासाध्य शीघ्रता से की जायेगी और उस अपील का निपटारा उस तारीख से, जिसको अपील उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाती है, छह मास के भीतर-भीतर करने का प्रयास किया जायेगा।

अध्याय [5] 6

प्रतिकर का प्रभाजन

[48] 52. प्रभाजन की विशिष्टियों का विनिर्दिष्ट किया जाना.- जब अनेक व्यक्ति हितबद्ध हैं तो यदि ऐसे व्यक्ति प्रतिकर के प्रभाजन से सहमत हैं तो ऐसे प्रभाजन की विशिष्टियों को अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसे व्यक्तियों के बीच अधिनिर्णय प्रभाजन की शुद्धता का निश्चयक साक्ष्य होगा।

[49] 53. प्रभाजन के बारे में विवाद.- जब धारा 12 के अधीन प्रतिकर की रकम परिनिर्धारित कर दी गयी है तो यदि उसके या उसके किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में, जिनको वह या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कलक्टर ऐसा विवाद, विनिश्चय के लिए प्राधिकरण को निर्देशित कर सकेगा।

अध्याय 7

भूमि का अस्थायी अधिभोग

54. बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी अधिभोग और जब प्रतिकर के संबंध में मतभेद हो तब प्रक्रिया.- (1) जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी कब्जा लेना और उपयोग करना किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है तब राज्य सरकार, उसका अधिभोग और उपयोग, ऐसे अधिभोग के प्रारंभ से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, उपाप्त करने का कलक्टर को निदेश दे सकेगी।

(2) तदुपरांत कलक्टर ऐसी भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को उस प्रयोजन की, जिसके लिए उसकी आवश्यकता है, लिखित सूचना देगा और यथापूर्वोक्त ऐसी अवधि तक उस पर अधिभोग रखने और उसका उपयोग करने के लिए और उसमें से ली जाने वाली सामग्रियों, यदि कोई हों, के लिए उनको उतने प्रतिकर का, जो इस प्रकार अधिभुक्त या उपयोग में ली गयी भूमि के बाजार मूल्य का डेढ़ गुणा से कम न हो, या उस उपज का शुद्ध मूल्य, यदि ऐसा अधिभोग या उपयोग न होता तो हितबद्ध व्यक्ति ऐसी भूमि से प्राप्त करता, जो भी अधिक हो, या तो सकल धनराशि के रूप में या मासिक या अन्य कालिक संदायों के रूप में संदाय करेगा जो क्रमशः उसके और ऐसे व्यक्तियों के बीच लिखित रूप में करार पाया जाये।

(3) यदि कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में प्रतिकर की पर्याप्तता या उसके प्रभाजन के संबंध में कोई मतभेद होता है तो कलक्टर ऐसे मतभेद को प्राधिकरण के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

55. प्रवेश करने और कब्जा लेने की शक्ति और प्रत्यावर्तन पर प्रतिकर.- (1) कलक्टर, ऐसे प्रतिकर का संदाय किये जाने पर, या ऐसे करार के निष्पादन पर या धारा 54 के अधीन निर्देश किये जाने पर, भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा और उक्त सूचना के निबंधनों के अनुसार उसका उपयोग कर सकेगा या उपयोग किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) कलक्टर अवधि के अवसान पर, हितबद्ध व्यक्तियों को उस नुकसान के लिए, यदि कोई हो, जो उस भूमि को पहुंचा हो और जिसके लिए करार द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, प्रतिकर का संदाय या उसका निविदान करेगा और वह भूमि उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित कर देगा:

परन्तु यदि वह भूमि उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए ऐसी कालावधि के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व वह उपयोग में लायी जाती थी, उपयोग में लाये जाने के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो गयी है, और यदि हितबद्ध व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करें तो राज्य सरकार भूमि को अर्जित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन ऐसे अग्रसर होगी मानो उसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए स्थायी रूप से आवश्यकता हो।

56. भूमि की दशा के संबंध में मतभेद.- यदि कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में अवधि के अवसान पर उस भूमि की दशा के संबंध में या उक्त करार से संबंधित किसी विषय के संबंध में मतभेद है तो कलक्टर ऐसे मतभेद को प्राधिकरण के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

अध्याय 8

भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन

57. भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन.- (1) जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि लोकहित में यह आवश्यक है कि-

- (क) ऐलिवेटेड सड़कों के लिए पिल्लरों या पोस्टों के परिनिर्माण, जल, गैस, मल इत्यादि की पाइप लाइनों या विद्युत लाइनों या संचार केबलों के लिए;
- (ख) खनिज, जल, गैस, मल इत्यादि के परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइनें बिछाने के लिए;
- (ग) विद्युत प्रदाय या संचार सुविधाओं हेतु भूमिगत केबलें बिछाने के लिए,

ऐसी भूमि जिस पर ऐसे पिल्लरों या पोस्टों का परिनिर्माण किया जाना है या जिसके नीचे ऐसी पाइप लाइनें या केबलें बिछाई जानी हैं, में उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन किया जाना आवश्यक है, वहां वह धारा

5 में विनिर्दिष्ट रीति से, अधिसूचना द्वारा उसमें उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन किये जाने के आशय की घोषणा कर सकेगी।

(2) तदुपरि किसी व्यक्ति के लिए, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो तथा उसके सेवकों और कर्मकारों के लिए,-

- (i) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भी भूमि में प्रवेश करना और उसका सर्वेक्षण करना और तलमापन करना;
- (ii) अवमृदा के भीतर खोदना या वेधन करना;
- (iii) संकर्म का आशयित रेखांकन करना;
- (iv) ऐसे तलों, सीमाओं को और रेखा को चिह्न लगाकर और खाइयां खोदकर चिह्नांकित करना;
- (v) जहां कि अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता और तलमापन नहीं किया जा सकता और सीमाएं और रेखा चिह्नित नहीं की जा सकती वहां किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग को काटना और भूमि को साफ करना;
- (vi) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या पिल्लरों या पोस्टों का परिनिर्माण किया जा सकता है या भूमि के नीचे पाइप लाइन या केबल बिछायी जा सकती है, आवश्यक अन्य समस्त कार्यों को करना;

विधिपूर्ण होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई सेवक या कर्मकार, ऐसी भूमि को यथासंभव कम नुकसान या क्षति कारित करेगा।

58. आक्षेपों की सुनवाई और उपयोक्ता के अधिकारों के अर्जन की घोषणा.- (1) भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति धारा 57 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से [इक्कीस] तीस दिवस के भीतर-भीतर, पिल्लरों या पोस्टों के परिनिर्माण पर या, यथास्थिति, भूमि के नीचे पाइप लाइन या केबल बिछाने पर आक्षेप कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप कलक्टर को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे, और कलक्टर आक्षेपकर्ता को स्वयं या विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेप को अनुज्ञात या अननुज्ञात करेगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर कोई आक्षेप नहीं किये जाते हैं या जहां उप-धारा (2) के अधीन आक्षेप अननुज्ञात कर दिये जाते हैं वहां कलक्टर, यथाशीघ्र, राज्य सरकार के विनिश्चय के लिए, उसके द्वारा की गयी कार्यवाहियों के अभिलेख के साथ आक्षेपों पर राज्य सरकार को उसकी सिफारिशें अंतर्विष्ट करते हुए या तो धारा 57 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना में वर्णित भूमि की रिपोर्ट भेजेगा या ऐसी भूमि के भिन्न-भिन्न खण्डों के संबंध में भिन्न-भिन्न रिपोर्टें भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी भूमि धारा 57 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी कि उक्त प्रयोजनों के लिए भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए और इस बात को विचार में लाये बिना कि इस उप-धारा के अधीन कलक्टर द्वारा एक रिपोर्ट या भिन्न-भिन्न रिपोर्टें की गयी हैं, धारा 57 की उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में वर्णित भूमि के भिन्न-भिन्न खण्डों के संबंध में समय-समय पर विभिन्न घोषणाएं की जा सकेंगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर, उसमें विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता का अधिकार, समस्त विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में पूर्णतया निहित हो जायेगा।

59. राज्य सरकार द्वारा भूमि का उपयोग.- जहां धारा 58 के अधीन किसी भूमि में उपयोक्ता के अधिकार राज्य सरकार में निहित हो जाते हैं वहां,-

(क) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति और उसके सेवकों और कर्मकारों के लिए भूमि पर प्रवेश और पिल्लरों

या पोस्टों का परिनिर्माण, या पाइपलाइनें या, यथास्थिति, केबलें बिछाना या ऐसे पिल्लरों या पोस्टों के परिनिर्माण या पाइप लाइन या केबलें बिछाने के लिए अन्य आवश्यक या आनुषंगिक कार्य करना विधिपूर्ण होगा;

- (ख) ऐसी भूमि का उपयोग केवल पिल्लरों या पोस्टों का परिनिर्माण करने, या पाइपलाइनें या, यथास्थिति, केबलें बिछाने के लिए, और किसी पिल्लर या पोस्ट, या उस पर की किसी संरचना या लाइन या पाइपलाइन या, यथास्थिति, केबल का रखरखाव, मरम्मत, परिवर्तन करने या उसे हटाने के लिए या पूर्वोक्त किन्हीं प्रयोजनों के लिए आवश्यक या उनके आनुषंगिक कोई भी अन्य कार्य करने के लिए या ऐसे पिल्लरों, पोस्टों, पाइपलाइनों या, यथास्थिति, केबलों के उपयोग के लिए ही किया जायेगा।

60. निरीक्षण इत्यादि के लिए भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति.- किसी पिल्लर या पोस्ट, या उस पर किसी संरचना या लाइन, या पाइपलाइन या, यथास्थिति, केबल के रखरखाव, परीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन करने या उसे हटाये जाने के लिए या पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए कोई अन्य आवश्यक या इसके आनुषंगिक कार्य करने के लिए या ऐसे पिल्लरों, पोस्टों, पाइपलाइनों, या, यथास्थिति, केबलों का उपयोग करने के लिए या पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए कोई निरीक्षण या माप करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति भूमि, जिस पर पूर्वोक्त कार्यों को करने के लिए पहुंच आवश्यक हो, के अधिभोगी को प्रवेश करने की युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात् इतने सेवकों और कर्मकारों, जो आवश्यक हों, के साथ प्रवेश कर सकेगा:

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि कोई आपात स्थिति विद्यमान है तो ऐसी कोई सूचना दी जानी आवश्यक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई सेवक या कर्मकार ऐसी भूमि को यथासंभव कम से कम नुकसान या क्षति कारित करेगा।

61. भूमि के उपयोग के बारे में निर्बंधन.- (1) भूमि, जिसके संबंध में धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा की गयी है, का अधिभोगी या स्वामी, भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर सकेगा जिसके लिए ऐसी भूमि धारा 57 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व उपयोग में ली जाती थी:

परन्तु ऐसा स्वामी या अधिभोगी, धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा के पश्चात् उस भूमि पर,-

- (i) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण;
- (ii) किसी टैंक, कुएं, जलाशय या बांध का निर्माण या उत्खनन; या

(iii) वृक्षारोपण,
नहीं करेगा।

(2) उस भूमि, जिस पर कोई पिल्लर या पोस्ट परिनिर्मित किया गया है या जिसके नीचे कोई पाइप लाइन या केबल बिछायी गयी है, का स्वामी या अधिभोगी, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या ऐसा कोई कार्य किये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, जिससे पिल्लर, पोस्ट, पाइप लाइन या, यथास्थिति, केबल को किसी भी रीति से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान कारित हो या होना संभाव्य हो।

(3) जहां भूमि, जिसके संबंध में धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा की गयी है, का स्वामी या अधिभोगी, उस भूमि पर-

- (क) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण;
- (ख) किसी टैंक, कुएं, जलाशय या बांध का निर्माण या उत्खनन; या

(ग) वृक्षारोपण,

करता है तो कलक्टर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसीकि वह ठीक समझे, ऐसे भवन, संरचना, जलाशय, बांध या वृक्ष को हटवा सकेगा या ऐसे कुएं या टैंक को भरवा सकेगा, और इस प्रकार हटाये जाने या भरे जाने के खर्चे, ऐसे स्वामी या अधिभोगी से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

62. भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन के लिए प्रतिकर.- (1) जहां धारा 57, 59 या 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए उस भूमि में, जिस पर पिल्लर या पोस्ट का परिनिर्माण प्रस्तावित है, या किया जा रहा है या किया गया है, या जिसके नीचे पाइप लाइन या केबल बिछायी जानी प्रस्तावित है या बिछायी जा रही है या बिछायी गयी है, में हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई नुकसान, हानि या क्षति होती है, वहां राज्य सरकार ऐसे नुकसान, हानि या क्षति के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर संदत्त करने के लिए दायी होगी, जिसकी रकम कलक्टर द्वारा अवधारित की जायेगी।

(2) जहां किसी भी भूमि के उपयोक्ता का अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गया है, वहां राज्य सरकार स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका उस भूमि को उपयोग करने का अधिकार इस प्रकार निहित हो जाने के कारण, किसी भी रीति से किसी भी प्रकार प्रभावित होता है, उप-धारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, धारा 57 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख पर उस भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत पर संगणित प्रतिकर संदत्त करने के लिए दायी होगी:

परन्तु किसी पिल्लर या पोस्ट, या उस पर की अन्य संरचना या लाइन या धारा 57 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी संकर्म की सुरक्षा के लिए दीवार या फैंसिंग द्वारा घिरी हुई भूमि के क्षेत्र के संबंध में प्रतिकर धारा 14 के उपबंधों के अनुसार संगणित किया जायेगा।

(3) प्रतिकर के प्रभाजन, निक्षेप और संदाय और प्राधिकरण को निर्देश और उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस धारा के अधीन प्रतिकर पर लागू होंगे।

अध्याय 9

कम्पनियों के लिए भूमि का अर्जन

63. औद्योगिक समुत्थान का कतिपय प्रयोजनों के लिए कम्पनी समझा जाना.- व्यष्टि या व्यष्टियों के संगम के स्वामित्वाधीन के औद्योगिक समुत्थान के लिए जो प्रत्यक्ष नियोजन में कम से कम निन्यानवे कर्मकार या इतनी बड़ी संख्या में कर्मकारों जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, को मामूली तौर से नियोजित रखता है और कम्पनी नहीं है और जो समुत्थान द्वारा नियोजित कर्मकारों के

लिए आवास गृह बनाने के लिए या प्रत्यक्षतः तत्संसक्त सुख-सुविधाएं उपबन्धित करने के लिए भूमि अर्जित करना चाहता है, वहां तक, जहां तक कि ऐसी भूमि के अर्जन का संबंध है, इस अध्याय के इन प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वह कम्पनी है, और इस अधिनियम के अधीन कम्पनी के प्रति निर्देशों का निर्वचन ऐसे किया जायेगा मानो वे ऐसे औद्योगिक समुत्थान के प्रति भी निर्देश हैं।

64. राज्य सरकार की पूर्व सम्मति और करार का निष्पादन आवश्यक.- धारा 8 से लेकर धारा 21 तक (जिसके अन्तर्गत दोनों धाराएं हैं) [और धारा 37 से 53], धारा 24 से 27 (जिसके अन्तर्गत दोनों धाराएं हैं) और धारा 41 से 53 तक (जिसके अन्तर्गत दोनों धाराएं हैं) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी के लिए भूमि अर्जित करने के लिए तब तक प्रवृत्त नहीं किये जायेंगे जब तक कि राज्य सरकार की पूर्व सम्मति न हो और कम्पनी ने इसमें इसके पश्चात् वर्णित करार निष्पादित न कर दिया हो:

परन्तु ऐसी कोई भी सम्मति ऐसी किसी कम्पनी को नहीं दी जायेगी, यदि ऐसी किसी कम्पनी से या उसके किसी सहयोगी समुत्थान जिसमें उसके सारभूत प्रति-हित हों, राज्य सरकार को देय कर या उन पर के ब्याज बकाया हों।

65. पूर्ववर्ती जांच.- (1) ऐसी सम्मति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि-

- (क) धारा 2 के अधीन अपेक्षित हितबद्ध व्यक्तियों की सम्मति अभिप्राप्त नहीं कर ली गयी है; और
- (ख) धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन कलक्टर की रिपोर्ट पर या की गयी किसी ऐसी जांच द्वारा, जो इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है, राज्य सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता है-
 - (i) कि अर्जन का प्रयोजन कम्पनी द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए आवास गृह परिनिर्मित करने के लिए या प्रत्यक्षतः तत्संसक्त सुख-सुविधाएं उपबन्धित करने के लिए भूमि अभिप्राप्त करना है; या

- (ii) कि ऐसा अर्जन ऐसी किसी कम्पनी के किसी भवन या संकर्म का निर्माण करने के लिए आवश्यक है जो ऐसे किसी उद्योग या संकर्म में लगी हुई है या स्वयं लगने के लिए कदम उठा रही है जो किसी लोक प्रयोजन के लिए है; या
- (iii) कि ऐसा अर्जन किसी संकर्म का निर्माण करने के लिए आवश्यक है जिसका लोक के लिए उपयोगी साबित होना संभाव्य है।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जांच ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसे समय और स्थान पर की जायेगी जो राज्य सरकार नियुक्त करे।

(3) उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी उन्हीं साधनों से और यथासंभव उसी रीति से, जो किसी सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) द्वारा उपबन्धित है, साक्षियों को समन कर सकेगा और उनकी हाजिरी प्रवर्तित करा सकेगा और बाध्य करके दस्तावेजों की पेशी करा सकेगा।

66. राज्य सरकार के साथ करार.- यदि राज्य सरकार का धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन कलक्टर की किसी रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् या धारा 65 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जांच करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि प्रस्थापित अर्जन उन प्रयोजनों में से किसी के लिए है जो धारा 65 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) या उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट हैं तो वह कम्पनी से यह अपेक्षा करेगी कि वह कम्पनी राज्य सरकार से निम्नलिखित विषयों के लिए ऐसा उपबन्ध करने वाला, जिससे राज्य सरकार का समाधान हो जाये, एक करार करे, अर्थात्:-

- (क) राज्य सरकार को अर्जन के खर्च का संदाय;
- (ख) ऐसे संदाय पर भूमि का अन्तरण कम्पनी को किया जाना;
- (ग) वे निबंधन जिन पर भूमि कम्पनी द्वारा धारित की जायेगी;

- (घ) जहां वह अर्जन आवास गृह परिनिर्मित करने के लिए या तत्संसक्त सुख-सुविधाएं उपबन्धित करने के प्रयोजन के लिए है वहां वह समय, जिसके भीतर-भीतर, वे शर्तें, जिन पर और वह रीति जिससे आवासगृह परिनिर्मित किये जायेंगे या सुख-सुविधाएं उपबन्धित की जायेंगी;
- (ङ) जहां वह अर्जन ऐसी कम्पनी के किसी निर्माण या संकर्म को सन्निर्माण के लिए है, जो ऐसे किसी उद्योग या संकर्म में लगी हुई है या स्वयं लगने के लिए कदम उठा रही है, जो किसी लोक प्रयोजन के लिए है, वहां वह समय, जिसके भीतर-भीतर और वे शर्तें, जिन पर वह निर्माण या संकर्म सन्निर्मित या निर्मित किया जायेगा; और
- (च) जहां वह अर्जन कोई अन्य संकर्म के सन्निर्माण के लिए है वहां वह समय, जिसके भीतर-भीतर और वे शर्तें, जिन पर वह संकर्म सन्निर्मित किया जायेगा या बनाये रखा जायेगा और वे निबंधन जिन पर लोक संकर्म का उपयोग करने का हकदार होगा:

परन्तु ऐसा करार केवल करार हस्ताक्षरित करते समय या उसके पूर्व, अर्जन की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत के बराबर की रकम का संदाय किये जाने पर ही हस्ताक्षरित किया जायेगा और यह रकम राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रतिकर के संदाय तक प्रतिभूति के रूप में धारित की जायेगी।

67. करार का प्रकाशन.- ऐसा प्रत्येक करार उसके निष्पादन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और तदुपरांत उसका (वहां तक, जहां तक कि उन निबंधनों का संबंध है जिन पर लोक संकर्म का उपयोग करने का हकदार होगा) ऐसा प्रभाव होगा मानो वह इस अधिनियम का भाग रूप था।

68. अन्तरण आदि पर निबंधन.- कोई भी कम्पनी, जिसके लिए इस अध्याय के अधीन कोई भूमि अर्जित की जाती है, उक्त भूमि या उसके किसी भाग का विक्रय, बंधक, दान, पट्टे द्वारा या अन्यथा

अन्तरण राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय करने की हकदार नहीं होगी।

69. सरकारी कम्पनियों से भिन्न प्राइवेट कम्पनियों के लिए कतिपय प्रयोजन के सिवाय इस अध्याय के अधीन भूमि का अर्जन न किया जाना.- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन किसी भी भूमि का अर्जन ऐसी प्राइवेट कम्पनी के लिए, जो सरकारी कम्पनी नहीं है, धारा 65 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) में वर्णित प्रयोजन के सिवाय नहीं किया जायेगा।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

70. सूचनाओं की तामील.- (1) इस अधिनियम के अधीन की किसी भी सूचना की तामील, धारा 5 के अधीन की किसी सूचना की दशा में, उसमें वर्णित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और किसी भी अन्य सूचना की दशा में कलक्टर या प्राधिकरण के द्वारा, या आदेश द्वारा, उसकी हस्ताक्षरित एक प्रति परिदत्त या निविदत्त करके की जायेगी।

(2) जब कभी साध्य हो, सूचना की तामील उसमें नामित व्यक्ति पर की जायेगी।

(3) जब ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता हो तब तामील उसके [कुटुम्ब] परिवार के ऐसे किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर, जो उसी के साथ निवास करता है, की जा सकेगी, और यदि ऐसा कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं पाया जा सकता हो, तो सूचना की तामील उस गृह के बाहरी द्वार पर, जिसमें वह व्यक्ति, जो उस सूचना में नामित है, मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है, उसकी प्रति चस्पां करके या पूर्वोक्त अधिकारी के या कलक्टर के कार्यालय में या प्राधिकरण के किसी सहजदृश्य स्थान पर और अर्जित की जाने वाली भूमि के किसी सहजदृश्य भाग में भी उसकी एक प्रति चस्पां करके या उस परिक्षेत्र में परिचालित होने वाले समाचार पत्र में नोटिस के प्रकाशन द्वारा की जा सकेगी:

परन्तु यदि कलक्टर या प्राधिकरण ऐसा निदेश दे तो सूचना उसमें नामित व्यक्ति को संबोधित ऐसे पत्र में, अंतिम ज्ञात निवास-स्थान, पते या कारबार के स्थान पर, स्पीड या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा

भेजी जा सकेगी और उसकी तामील संबोधित की रसीद पेश करके साबित की जा सकेगी।

[71. **भूमि के अर्जन में बाधा डालने के लिए शास्ति.**- जो कोई धारा 5 या धारा 9 द्वारा प्राधिकृत कार्य में से किसी के किये जाने में किसी व्यक्ति को जानबूझकर बाधित करेगा या धारा 5 के अधीन बनायी गयी किसी खाई या चिह्न को जानबूझकर भरेगा, नष्ट करेगा, नुकसान पहुंचायेगा या विस्थापित करेगा, वह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्धदोष ठहराये जाने पर ऐसी कालावधि, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु छह मास तक की हो सकेगी, के कारावास, या ऐसे जुर्माने जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा परन्तु तीन लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों, का भागी होगा।]

71. अनुपयोजित भूमि का वापस किया जाना.- जब इस अधिनियम के अधीन अवाप्त कोई भूमि उसका कब्जा लिये जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि तक अनुपयोजित रहती है तो वह ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, मूल स्वामी या स्वामियों या, यथास्थिति, उनके विधिक वारिसों को या राज्य सरकार के भूमि बैंक को प्रत्यावर्तन द्वारा वापस कर दी जायेगी।

[72. **कम्पनी द्वारा अपराध.**- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो, अपराध किये जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा:

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी भी

निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

73. अपराधों का कलक्टर द्वारा फाइल की गयी शिकायत पर ही संज्ञेय होना.- कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का, जिसके कारित किये जाने के बारे में अभिकथन किया गया है संज्ञान, कलक्टर द्वारा की गयी लिखित शिकायत के सिवाय नहीं करेगा।]

[74] 72. मजिस्ट्रेट द्वारा अभ्यर्पण प्रवर्तित कराया जाना.- यदि इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने में कलक्टर का विरोध किया जाता है या उसके समक्ष विघ्न डाला जाता है तो वह, यदि वह मजिस्ट्रेट है, उस भूमि का उसे अभ्यर्पित किया जाना प्रवर्तित करा लेगा और यदि वह मजिस्ट्रेट नहीं है तो वह मजिस्ट्रेट से या उन शहरों के भीतर-भीतर (जहां पुलिस आयुक्त प्रणाली प्रचलित है) पुलिस आयुक्त को आवेदन करेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट या, यथास्थिति, आयुक्त, कलक्टर को उस भूमि का अभ्यर्पण किया जाना प्रवर्तित करायेगा।

[75] 73. अर्जन का पूरा करना अनिवार्य न होना किन्तु यदि अर्जन पूरा नहीं किया जाये तो प्रतिकर का अधिनिर्णीत किया जाना.- (1) धारा 55 में उपबंधित मामले के सिवाय, राज्य सरकार ऐसी किसी भूमि के, जिसका कब्जा नहीं लिया गया है, अर्जन को प्रत्याहृत किये जाने के लिए स्वतंत्र होगी।

(2) जब कभी राज्य सरकार कोई ऐसा अर्जन करने से अपने को प्रत्याहृत कर ले तब कलक्टर किसी सूचना के या तदधीन की गयी किन्हीं कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप जो नुकसान स्वामी को पहुंचा है, उसके लिए शोध्य प्रतिकर की रकम अवधारित करेगा और हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी रकम का उन सब खर्चों सहित संदाय करेगा जो उस व्यक्ति ने उक्त भूमि के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों के अभियोजन में युक्तियुक्त रूप से उठाये हों।

(3) धारा [37] 41 से लेकर धारा [46] 50 तक के (जिसके अन्तर्गत दोनों धाराएं हैं) उपबन्ध इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर के अवधारण को यावत्शक्य लागू होंगे।

[76] 74. गृह या भवन के भाग का अर्जन.- (1) इस अधिनियम के उपबन्ध किसी गृह, विनिर्माणशाला या अन्य भवन के केवल किसी भाग के अर्जन के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित नहीं किये जायेंगे, यदि स्वामी यह वांछा करे कि ऐसा पूरा गृह, पूरी विनिर्माणशाला या पूरा भवन इस प्रकार अर्जित किया जाये:

परन्तु स्वामी, कलक्टर द्वारा धारा 12 के अधीन अपना अधिनिर्णय दिये जाने के पूर्व, अपनी इस अभिव्यक्त वांछा को कि ऐसा पूरा गृह, पूरी विनिर्माणशाला या पूरा भवन अर्जित किया जाये, किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा प्रत्याहृत या उपान्तरित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि इसके संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो कि क्या कोई ऐसी भूमि, जिसका इस अधिनियम के अधीन लिया जाना प्रस्थापित है, इस धारा के अर्थान्तर्गत किसी गृह, विनिर्माणशाला या भवन का भाग है या नहीं तो कलक्टर ऐसे प्रश्न का अवधारण प्राधिकरण को निर्देशित करेगा और ऐसी भूमि का तब तक कब्जा नहीं लेगा जब तक कि ऐसे प्रश्न का अवधारण न हो जाये।

(2) ऐसे निर्देश पर विनिश्चय करने में प्राधिकरण इस प्रश्न का ध्यान रखेगा कि क्या उस भूमि की, जिसे लेने की प्रस्थापना है, गृह, विनिर्माणशाला या भवन के पूर्ण और अविकल उपयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा है।

(3) जहां अर्जित की जाने वाली भूमि के हितबद्ध व्यक्ति को उसकी अन्य भूमि से अलग किये जाने के परिणाम की संभावना है, यदि हितबद्ध व्यक्ति ऐसा चाहता है तो राज्य सरकार, कलक्टर द्वारा अपना अधिनिर्णय दिये जाने के पूर्व किसी भी समय उस सारी भूमि के अर्जन के लिए आदेश दे सकेगी, जिसका वह भूमि एक भाग है, जिसका अर्जन सर्वप्रथम ईप्सित था।

(4) उप-धारा (3) में उपबन्धित मामले में, धारा 8 से धारा 11 तक की धाराओं (जिसके अन्तर्गत दोनों धाराएं हैं) के अधीन कोई भी नयी घोषणा या अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी, किन्तु कलक्टर

राज्य सरकार के आदेश की प्रति हितबद्ध व्यक्ति को अविलम्ब देगा और तत्पश्चात् धारा 12 के अधीन अपना अधिनिर्णय करने के लिए अग्रसर होगा।

[77] 75. किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी कम्पनी के खर्च पर भूमि का अर्जन.- (1) जहां इस अधिनियम के उपबन्ध किसी स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे निगम, जो राज्य के स्वामित्व और नियन्त्रण में है, द्वारा नियन्त्रित या प्रबंधित किसी निधि के या किसी कम्पनी के खर्च पर भूमि अर्जित करने के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित किये जायें, वहां ऐसे अर्जन के या उसके आनुषंगिक प्रभार ऐसी निधि में से या कम्पनी द्वारा अदा किये जायेंगे।

(2) ऐसे मामलों में, जहां कोई कार्यवाही कलक्टर या प्राधिकरण के समक्ष होती है, उसमें संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन निगम या कम्पनी उपसंजात हो सकेगी और प्रतिकर की रकम का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य पेश कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी या राज्य के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई निगम या कम्पनी धारा [37] 41 के अधीन निर्देश कराने की मांग करने की हकदार नहीं होगी।

[78] 76. राज्य सरकार का पट्टे पर लेने का विकल्प.- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, जहां कहीं संभव हो, इस अधिनियम में निर्दिष्ट किसी लोक प्रयोजन के लिए, किसी भूमि का अर्जन करने के बजाय उसे भूस्वामी की सहमति से पट्टे पर लेने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी।

[79] 77. स्टाम्प शुल्क और फीस से छूट.- इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी भी अधिनिर्णय या करार पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं होगा और ऐसे किसी अधिनिर्णय या करार के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी प्रति के लिए किसी फीस का संदाय करने का दायी नहीं होगा।

[80] 78. प्रमाणित प्रति का साक्ष्य के रूप में प्रतिग्रहण.- इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी ऐसे दस्तावेज की, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16)

के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, कोई प्रमाणित प्रति, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 57 के अधीन दी गयी प्रति भी है, ऐसे दस्तावेज में अभिलिखित संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में प्रतिगृहीत की जा सकेगी।

[81] 79. अधिनियम के अनुसरण में की गयी किसी बात के लिए वादों की दशा में सूचना.- इस अधिनियम के अनुसरण में की गयी किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही, ऐसे व्यक्ति को आशयित कार्यवाही की और उसके हेतुक की तीस दिवस की लिखित पूर्व सूचना दिये बिना, प्रारम्भ नहीं की जायेगी और न पर्याप्त अभितुष्टि निविदत्त कर दिये जाने के पश्चात् अभियोजित की जायेगी।

[82] 80. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए और इसके प्रवर्तन से संबंधित समस्त मामलों में अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए नियम बना सकेगी और इस प्रकार बनाये गये नियमों में समय-समय पर परिवर्तन और परिवर्धन कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन के नियमों को बनाने, परिवर्तित करने और उनमें परिवर्धन करने की शक्ति ऐसे नियमों के पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात् बनाने, परिवर्तित करने और उनमें परिवर्धन करने की शर्त के अध्याधीन होगी।

(4) ऐसे समस्त नियम, परिवर्तन और परिवर्धन राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसा होने पर उनको विधि का बल प्राप्त होगा।

[83] 81. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30) को, राजस्थान राज्य में उसके लागू होने के संबंध में, धारा 2 में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन से संबद्ध मामलों के विस्तार तक [इसके द्वारा] इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, धारा 2 में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन के मामलों के संबंध में, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) या भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं.30) के अधीन आरंभ की गयी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व लंबित कोई कार्यवाही जारी रहेगी और इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन पूरी की जा सकेगी।

(3) उप-धारा (2) में यथा-उपबंधित के सिवाय, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंध उप-धारा (1) के अधीन निरसन पर लागू होंगे।

राजस्थान विधान सभा

भू-स्वामियों और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को कम से कम बाधा पहुंचाते हुए, लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन के लिए उपबंध करने और उसकी प्रक्रिया शीघ्र निपटाने के लिए और उन व्यक्तियों को जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है, न्यायोचित और बेहतर प्रतिकर प्रदान करने के लिए और उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए मौद्रिक रूप से क्षतिपूर्ति करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव ।

(Authorised English Translation)

Bill No. 22 of 2014

THE RAJASTHAN LAND ACQUISITION BILL, 2014

(As amended by the select committee)

Note:- All matters omitted by the select committee have been in square brackets and newly matters inserted have been underlined.

A

Bill

to provide for, and expedite the process of, land acquisition for public purposes with the least disturbance to owners of the land and other interested persons and to provide for fair and better compensation to the persons whose land is acquired and to compensate in monetized form for their rehabilitation and resettlement and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-[fifth] sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Land Acquisition Act, 2014.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Application of the Act.- (1) The provisions of this Act shall apply when the State Government acquires land for its own use, hold or control or for use, hold and control of a local authority or a corporation owned and controlled by the State, for public purposes.

(2) The provisions of this Act shall also apply, when the State Government acquires land for the following purposes, namely:-

- (a) for public private partnership projects, where the ownership of the land continues to vest with the State Government;
- (b) for private companies for public purpose:

Provided that in the case of acquisition for-

- (i) private companies, the prior consent of at least eighty percent of **[persons]families** interested; and
- (ii) public private partnership projects excluding infrastructure projects, the prior consent of at least sixty percent of the **[persons]families** interested,

shall be obtained in the prescribed manner:

Provided further that no land shall be transferred by way of acquisition, in the Scheduled Areas in contravention of any law (including any order or judgment of a court which has become final) relating to land transfer, prevailing in such Scheduled Areas.

Explanation.- "Scheduled Areas" means the Scheduled Area as referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution.

3. Irrigated land not to be acquired except for infrastructure projects.- No irrigated or multi-cropped land shall be acquired under this Act except for infrastructure projects.

4. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Authority" means the Rajasthan Land Acquisition Authority established under section **[24]28**;
- (b) "Collector" means the Collector of a district, and includes any officer specially appointed by the State Government to perform the functions of a Collector under this Act;

- (c) "company" means -
- (i) a company as defined in the Companies Act, 2013 (Central Act No.18 of 2013), other than a Government company referred to in clause (d);
 - (ii) a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860), Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958) or under any corresponding law for the time being in force in a State, other than a society referred to in clause (d);
 - (iii) a co-operative society within the meaning of any law relating to cooperative societies for the time being in force in the State, other than a co-operative society referred to in clause (d);
- (d) "corporation owned or controlled by the State" means anybody corporate established under a Central, or a State Act, and includes a Government company, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860), Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958) or under any corresponding law for the time being in force in a State, being a society established or administered by the State Government and a co-operative society within the meaning of any law relating to co-operative societies for the time being in force in the State, being a co-operative society in which more than fifty percent share of the total paid-up share capital is held by the State Government;
- (e) "entitled to act", in relation to a person, shall be deemed to include the following persons, namely:-
- (i) trustees for other persons beneficially interested with reference to any such case, and that to the same extent as the person beneficially interested could have acted if free from disability;

- (ii) the guardians of minors and the committees or managers of lunatics to the same extent as the minors, lunatics or other persons of unsound mind themselves, if free from disability, could have acted:

Provided that the provisions of Order XXXII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) shall, mutatis mutandis, apply in the case of persons interested appearing before a Collector or Authority by a next friend, or by a guardian for the case, in proceedings under this Act;

- (f) "infrastructure project" means a project relating to-
 - (i) a road, including toll road, elevated road, a bridge, a tunnel, urban public transport system or a rail system;
 - (ii) a highway including other activities being an integral part of the highway;
 - (iii) airport, inland waterway or inland port;
 - (iv) water supply, irrigation, storm water drainage system, water conservation or harvesting structure, water treatment system, sanitation and sewerage system or solid waste management system;
 - (v) telecommunication services whether basic or cellular, including radio paging, domestic satellite (i.e. a satellite owned and operated by an Indian company for providing telecommunication service), network of trunking, broadband network and internet services;
 - (vi) protection of environment and forest;
 - (vii) generation or generation and distribution of power;

- (viii) transmission or distribution of power by laying a network of new transmission or distribution lines;
 - (ix) oil and gas pipelines and terminals; and
 - (x) any other facility of similar nature needed for social and economic operation and development of the State;
- (g) "land" includes benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;
- (h) "local authority" includes a development authority (by whatever name called) set up under any law for the time being in force;
- (i) "market value" means the market value as determined under section 13;
- (j) "person interested" includes all persons claiming an interest in compensation to be made on account of the acquisition of land under this Act; and a person shall be deemed to be interested in land if he is interested in an easement affecting the land;
- (k) "private company" and "Government company" shall have the meaning respectively assigned to them in the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013);
- (l) "project" means a project for which land is being acquired, irrespective of the number of persons affected;
- (m) "project affected **[persons] families**" means **[persons] families** interested on account of land being acquired for a project; and
- (n) "public purpose" includes -
- (i) the provision of village-sites or the extension, planned development or improvement of existing village sites;

- (ii) provision of land for planned development of villages, towns or cities including providing land for residential purpose to the poor or landless or to the persons residing in areas affected by natural calamities, or to persons displaced or affected by reason of the implementation of any scheme by the Government, any local authority, or the corporation owned or controlled by the State; and shall also include the provision of land for carrying out any educational, housing, health, slum development or other welfare scheme sponsored by the State Government or by any organization in partnership with or permitted by the State Government or a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860), Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958) or under any corresponding law for the time being in force in the State, or a cooperative society within the meaning of any law relating to co-operative societies for the time being in force in the State;
- (iii) the provision of infrastructure projects;
- (iv) provision of land for planned educational, industrial or commercial development, or for purposes of sports facilities such as stadiums, tracks, fields, courses or training facilities and housing and catering facilities incidental thereto;
- (v) the provision of land for planned development of land from public funds in pursuance of any scheme or policy of Government and subsequent disposal thereof in whole or in part by lease, assignment or sale with the object of securing further planned development; and

(vi) the provision of land for any other scheme of development sponsored by the State Government or with the prior approval of the State Government, by a local authority.

“(o) “ family” includes a person, his or her spouse, minor children, minor brothers and minor sisters dependent on him:

Provided that widows, divorcees and women deserted by families shall be considered separate families.

Explanation.- An adult of either gender with or without spouse or children or dependents shall be considered as a separate family for the purposes of this Act.”

CHAPTER II ACQUISITION

Preliminary investigation

5. Publication of preliminary notification and power of officers thereupon.- (1) Whenever it appears to the State Government that land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette and in two daily newspapers circulating in that locality of which at least one shall be in the Hindi language, and the Collector shall cause public notice of the substance of such notification to be given at convenient places in the said locality (the last of the dates of such publication and the giving of such public notice, being hereinafter referred to as the date of the publication of the notification).

(2) Thereupon it shall be lawful for any officer, either generally or specially authorized by the State Government in this behalf, and for his servants and workmen,-

- (i) to enter upon and survey and take levels of any land in such locality;

- (ii) to dig or bore into the sub-soil;
- (iii) to do all other acts necessary to ascertain whether the land is suitable for such purpose;
- (iv) to set out the boundaries of the land proposed to be taken and the intended line of the work, if any, proposed to be made thereon[.];
- (v) to make such levels, boundaries and line by placing marks and cutting trenches, and, where otherwise the survey cannot be completed and the levels taken and the boundaries and line marked, to cut down and clear away any part of any standing crop, fence or jungle:

Provided that no person shall enter into any building or upon any enclosed court or garden attached to a dwelling house unless with the consent of the occupier thereof or without previously giving such occupier at least **[seven] fifteen** days notice in writing of his intention to do so.

6. Payment for damage. - The officer so authorized shall, at the time of such entry, pay or tender payment for all necessary damage to be caused as aforesaid, and, in case of dispute as to the sufficiency of the amount so paid or tendered, he shall at once refer the dispute to the decision of the Authority and decision of the Authority thereon shall be final.

Objections

7. Hearing of objections. - (1) Any person interested in any land which has been notified under sub-section (1) of section 5, as being needed or likely to be needed for a public purpose may, within **[thirty] forty-five** days from the date of the publication of the notification, object to the acquisition of the land or of any land in the locality, as the case may be.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the Collector in writing, and the Collector shall give the objector an opportunity of being heard in person or by a legal practitioner

and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 5, or make different reports in respect of different parcels of such land, to the State Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of the State Government. The decision of the State Government on the objections shall be final.

[(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land were acquired under this Act.]

Declaration of intended acquisition

8. Declaration that land is required for a public purpose.- (1) If the State Government is satisfied, after considering the report, if any, made under sub-section (2) of section 7, that any particular land is needed for a public purpose, a declaration shall be made to that effect under the signature of a Secretary to the Government.

(2) Different declarations may be made from time to time in respect of different parcels of **[any] notified** land covered by the same notification under sub-section (1) of section 5, irrespective of whether one report or different reports has or have been made (wherever required) under sub-section (2) of section 7.

(3) No such declaration shall be made unless amount of compensation estimated to be awarded for the **[proposed] notified** property is deposited with the Collector.

(4) Every declaration shall be published in the Official Gazette and in two daily **State level** newspapers circulating in the locality in which the land is situated of which **[at least]** one shall be in the Hindi language **and other shall be in English language**, and the Collector shall cause public notice of the substance of such declaration to be **[given] published at the village Panchayat or,**

as the case may be, the Municipality concerned, at the office of the District Collector, Sub-Divisional Officer or Tehsildar concerned and at convenient places in the said locality (the last of the dates of such publication and the giving of such public notice, being hereinafter referred to as the date of the publication of the declaration) and such declaration shall state the district or other territorial division in which the land is situate, the purpose for which it is needed, its approximate area, and, where a plan shall have been made of the land, the place where such plan may be inspected.

(5) The said declaration shall be conclusive evidence that the land is needed for a public purpose, and, after making such declaration, the State Government may acquire the land in the manner hereinafter appearing.

(6) Every such declaration shall be made within one year from the date of the publication of the notification under section 5 if no declaration is made within that period, the entire proceedings for the acquisition of the land shall lapse.

Explanation.- In computing the period during which any action or proceeding to be taken in pursuance of the notification issued under sub-section (1) of section 5, is stayed by an order of a Court, shall be excluded.

9. Land to be marked out, measured and planned.- The Collector shall thereupon cause the land, unless it has been already marked out under section 5, to be marked out. He shall also cause it to be measured, and if no plan has been made thereof, a plan to be made of the same.

10. Notice to persons interested.- (1) The Collector shall then cause public notice to be **[given]published** at convenient places on or near the land to be taken, stating that the Government intends to take possession of the land, and that claims to compensation for all interests in such land may be made to him.

(2) Such notice shall state the particulars of the land so needed, and shall require all persons interested in the land to

appear personally or by agent before the Collector at a time and place therein mentioned (such time not being earlier than fifteen days after the date of publication of the notice), and to state the nature of their respective interests in the land and the amount and particulars of their claims to compensation for such interests, and their objections, if any, to the measurements made under section 5 or section 9. The Collector may in any case require such statement to be made in writing and signed by the party or his agent.

(3) The Collector shall also serve notice to the same effect on the occupier, if any, of such land and on all such persons known or believed to be interested therein, or to be entitled to act for persons so interested, as reside or have agents authorized to receive service on their behalf, within the revenue district in which the land is situate.

(4) In case any person so interested resides elsewhere, and has no such agent, the notice shall be sent to him by speed or registered post in letter addressed to him at his last known residence, address or place of business.

11. Power to require and enforce the making of statements as to names and interests.- (1) The Collector may also require any such person to make or deliver to him, at a time and place mentioned (such time not being earlier than fifteen days after the date of the requisition), a statement containing, so far as may be practicable, the name of every other person possessing any interest in the land or any part thereof as co-proprietor, sub-proprietor, mortgagee, tenant or otherwise, and of the nature of such interest, and of the rents and profits, if any, received or receivable on account thereof for three years next preceding the date of the statement.

(2) Every person required to make or deliver a statement under this section shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of sections 175 and 176 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

***Enquiry into measurements, value and claims, and award by
the Collector***

12. Enquiry and award by Collector.- (1) On the day so fixed, or on any other day to which the enquiry has been adjourned, the Collector shall proceed to enquire into the objections, if any, which any person interested has stated pursuant to a notice given under section 10 to the measurements made under section 5 or section 9, and into the value of the land at the date of the publication of the notification under sub-section (1) of section 5, and into the respective interests of the persons claiming the compensation and shall make an award under his hand of-

- (i) the true area of the land;
- (ii) the compensation as determined under section 14; and
- (iii) the apportionment of the said compensation among all the persons known or believed to be interested in the land, or whom, or of whose claims, he has information, whether or not they have respectively appeared before him:

Provided that no award shall be made by the Collector under this sub-section without the previous approval of the State Government or of such officer as the State Government may authorize in this behalf:

Provided further that it shall be competent for the State Government to direct that the Collector may make such award without such approval in such class of cases as the State Government may specify in this behalf.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if at any stage of the proceedings, the Collector is satisfied that all the persons interested in the land who appeared before him have agreed in writing on the matters to be included in the award of the Collector in the form prescribed by rules made by the State Government, he may, without making further enquiry, make an award according to the terms of such agreement.

(3) The determination of compensation for any land under sub-section (2) shall not in any way affect the determination of

compensation in respect of other lands in the same locality or elsewhere in accordance with the other provisions of this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (Central Act No.16 of 1908), no agreement made under sub-section (2) shall be liable to registration under that Act.

13. Determination of market value of land by the Collector.- (1) The Collector shall adopt the following criteria in assessing and determining the market value of the land, namely:-

- (a) the minimum land value, if any, specified under the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), for the registration of sale deeds or agreements to sell, as the case may be, in the area, where the land is situated;
- (b) if no such value as referred to in clause (a) is specified in respect of any area, the minimum land value, if any, specified under the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), for the registration of sale deeds or agreements to sell, as the case may be, for similar type of land in the nearest village or nearest vicinity area; and
- (c) if no such value as referred to in clause (a) or clause (b) is available in respect of any area, the average sale price for similar type of land situated in the nearest village or nearest vicinity area;

Explanation 1.- The average sale price referred to in clause (c) shall be determined taking into account the sale deeds or the agreements to sell registered for similar type of area in the near village or near vicinity area during immediately preceding [**three years**] **one year** of the year in which such acquisition of land is proposed to be made;

Explanation 2.- For determining the average sale price referred to in Explanation 1, one-half of the total number of sale deeds or the agreements to sell in which the highest sale price has been mentioned shall be taken into account:

Provided that while determining the average sale price under clause (c), any price paid as compensation for

land acquired under the provisions of this Act on an earlier occasion shall not be taken into consideration[:].

[Provided further that if the Collector is satisfied that any price paid in any transaction of sale of a land is not indicative of actual prevailing market value, he may not take into account such price while determining the average sale price under clause (c).]

(2) The date of determination of market value shall be the date on which notification has been issued under sub-section (1) of section 5.

[14. Determination of amount of compensation.- The Collector shall calculate the amount of compensation by adding following components, namely:-

- (a) market value of the land;**
- (b) an amount arrived at by multiplying market value of the land by a factor,-**
 - (i) (A) in case of a land situated within a radius of 5 kilometres from the end of urban agglomeration or municipal limits, whichever is greater, of 1.25 to 2.5;**
 - (B) in the case of a land situated beyond the limits specified in paragraph (A) and classified in revenue record as waste land, barani or banjar, of 2.25 to 4.5;**
 - (C) in case of a land situated beyond the limits specified in paragraph (A) and classified in revenue record as irrigated or multi cropped land, of 2.5 to 5.0 as may be notified by the State Government having regard to the distance of land from the limits specified in paragraph (A);**
 - (ii) in case of land situated within urban agglomeration or municipal limits, of 1.0;**

- (c) an amount calculated at the rate of twelve per centum per annum on market value for the period commencing from the date of the publication of the notification under sub-section (1) of section 5, in respect of a land to the date of the award of the Collector or the date of taking possession of the land, whichever is earlier;

Explanation.- In computing the period referred to in clause (c), any period or periods during which the proceedings for the acquisition of the land were held up on account of any stay or injunction by the order of any Court shall be excluded;

- (d) an amount of solatium, equal to one hundred per centum of the total amount determined under clauses (a) to (c); and
- (e) any other amount payable in respect of the land by way of compensation or damages under this Act, if not already determined and paid.]

14. Determination of amount of compensation.- The Collector shall calculate the amount of compensation by adding following components namely:-

(a) (i) in case of land situated within the limits of "municipal area", an amount arrived at by multiplying market value of the land by a factor of 1.25;or

(ii) in case of a land situated within a radius of 5 kilometres from the outer limits of the municipal area an amount arrived at by multiplying market value of the land by a factor of 1.25 to 2.5 as may be notified by the State Government ;or

(iii) in case of un-irrigated land situated beyond a radius of 5 kilometres from the outer limits of the municipal area, an amount arrived at by multiplying market value of the land by a factor of 2.25 to 4.50 as may be notified by the State Government having regard

to the distance of land from the outer limits of the urban area; or

(iv) in case of irrigated land situated beyond a radius of 5 kilometres from the outer limits of the municipal area, an amount arrived at by multiplying market value of the land by a factor of 2.5 to 5.0 as may be notified by the State Government having regard to the distance of land from the outer limits of the urban area;

Explanation 1.- "municipal area" means the area as defined in clause (xxxix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009(Act No. 18 of 2009).

Explanation 2.- "irrigated land" means a land recorded as irrigated land in revenue records or a land which has, as per *khasra girdawari*, been under irrigated cultivation for three years immediately preceding the date of publication of the notification under sub-section (1) of section 5;

(b) the value of any standing crops, trees, buildings, wells or any other things attached to the land;

(c) an amount calculated at the rate of twelve per centum per annum on the market value for the period commencing from the date of the publication of the notification under sub-section (1) of section 5, in respect of a land to the date of the award of the Collector or the date of taking possession of the land, whichever is earlier;

(d) an amount of solatium, equal to one hundred per centum of the total amount determined under clauses (a) to (c);

(e) any other amount payable in respect of the land by way of compensation or damages under this Act, if not already determined and paid.

Explanation.- In computing the period referred to in clause (c), any period or periods during which the proceedings for the acquisition of the land were held up on account of any stay or injunction by the order of any Court shall be excluded.

15. Period within which an award shall be made.- The Collector shall make an award within a period of [**two years**]**one year** from the date of the publication of the declaration under section 8 and if no award is made within that period, the entire proceeding for the acquisition of the land shall lapse **automatically**:

Provided that the State Government shall have the power to extend the period of [**two years**] **one year** if, in its opinion, circumstances exist justifying the same:

Provided further that any such decision to extend the period shall be recorded in writing.

Explanation.- In computing the period of [**two years**]**one year** referred to in this section, the period during which any action or proceeding to be taken in pursuance of the said declaration is stayed by an order of a Court shall be excluded.

16. Award of Collector when to be final.- (1) Such award shall be filed in the Collector's office and shall, except as hereinafter provided, be final and conclusive evidence, as between the Collector and the persons interested, whether they have respectively appeared before the Collector or not, of the true area and value of the land, and the apportionment of the compensation among the persons interested.

(2) The Collector shall give immediate notice of his award to such of the persons interested as are not present personally or by their representatives when the award is made.

17. Adjournment of enquiry.- The Collector may, for any cause he thinks fit, from time to time adjourn the enquiry to a day to be fixed by him.

18. Correction of clerical errors, etc.- (1) The Collector may, at any time but not later than six months from the date of the award, or where he has been required to make a reference to the Authority under this Act, before the making of such reference, by order, correct any clerical or arithmetical mistakes in the award or errors arising therein either on his own motion or on the application of any person interested or a local authority:

Provided that no correction, which is likely to affect prejudicially any person, shall be made unless such person has been given a reasonable opportunity of making a representation in the matter.

(2) The Collector shall give immediate notice of any correction made in the award to all the persons interested.

(3) Where any excess amount is proved to have been paid to any person as a result of the correction made under sub-section (1), the excess amount so paid shall be liable to be refunded and in the case of any default or refusal to pay, the same may be recovered as an arrear of land revenue.

19. Power to summon and enforce attendance of witnesses and production of documents.- For the purpose of enquiries under this Act the Collector shall have powers to summon and enforce the attendance of witnesses, including the parties interested or any of them, and to compel the production of documents by the same means, and, so far as may be, in the same manner as is provided in the case of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).

20. Power to call for records, etc.- The State Government may, at any time before the award is made by the Collector under section 12, call for any record of any proceedings, whether by way of inquiry or otherwise, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any findings or order passed or as to the regularity of such proceedings and may pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit:

Provided that the State Government shall not pass or issue any order or direction prejudicial to any person without affording such person a reasonable opportunity of being heard.

Taking Possession

21. Power to take possession.- When the Collector has made an award under section 12 and payment of compensation has been made under section ~~50~~24, he may take possession of the land, which shall thereupon vest absolutely in the Government, free from all encumbrances.

22. Special powers in case of urgency.— (1) In cases of urgency whenever the State Government, reasons in writing, so directs, the Collector, though no such award has been made, may, on the expiration of [~~fifteen~~]thirty days from the publication of the notice mentioned in sub-section (1) of section 10, take possession of any land needed for a public purpose. Such land shall thereupon vest absolutely in the Government, free from all encumbrances.

(2) In case the Collector proceeds under sub-section (1), he shall, at the time of taking possession, offer to the persons interested compensation for the standing crops and trees and buildings or anything attached, if any, on such land and from any other damage sustained by them caused by such sudden dispossession and, in case such offer is not accepted, the value of such crops and trees and the amount of such other damage shall be accounted for in awarding compensation for the land under the provisions herein contained.

(3) Before taking possession of any land under sub-section (1), the Collector shall, without prejudice to the provisions of sub-section (2),-

- (a) tender payment of eighty per centum of the compensation for such land as estimated by him to the person interested and entitled thereto; and
- (b) pay it to them, unless prevented by one or more of the contingencies mentioned in section [50]24, and where the Collector is so prevented, the provisions of section [50]24 shall apply as they apply to the payment of compensation under that section.

(4) The amount paid or deposited under sub-section (3) shall be taken into account for determining the amount of compensation required to be tendered under section [50]24 and where the amount so paid or deposited exceeds the compensation awarded by the Collector under section 12, the excess may, unless refunded within three months from the date of Collector's award, be recovered as an arrear of land revenue.

(5) In the case of any land to which, in the opinion of the State Government, the provisions of sub-section (1) are applicable, the State Government may direct that the provisions of section 7 shall not apply, and, if it does so direct, a declaration may be made under section 8 in respect of the land at any time after the date of the publication of the notification under sub-section (1) of section 5.

CHAPTER III

REHABILITATION AND RESETTLEMENT

[23. The rehabilitation and resettlement of persons affected by acquisition of land.- Where the land is acquired by the State Government under this Act , a lump sum amount equal to ten per centum of the amount of compensation determined under section 14 shall be paid as resettlement and rehabilitation cost to the project affected persons:

Provided that where the land is acquired by the State Government for any purposes other than for creating infrastructure relating to road, power, irrigation, drinking water or safeguarding environment and forest, in addition to the rehabilitation cost, an amount equal to the twenty per centum of the amount of the compensation determined under section 14 shall be paid to the project affected person by way of incentive:

Provided further that where the acquisition process displaces an entire village, or a number of villages, the State Government shall endeavor, in the alternative, to resettle such village or villages, as the case may be, if the project affected persons so desire and it is possible to do so, at any alternative land, preferably in command area of a river or a canal, or on land which is as near as possible and feasible to the original village of the project affected persons:

Provided also that where the land is acquired for a private company, the project affected persons shall have option either to receive a lump sum amount equal to ten per centum of the amount of compensation determined under section 14 as

resettlement and rehabilitation cost and twenty percent incentive payable under the first proviso, or to receive an annuity of rupees five thousand per month for twenty years or a onetime settlement of rupees seven lakh fifty thousand per person.]

23. The rehabilitation and resettlement of affected families by acquisition of land.- (1)Where the land is acquired by the State Government for infrastructure projects such as road, power, irrigation, drinking water or for the safeguarding environment and forest, a lump sum amount equal to ten per centum of the amount of compensation determined under section 14, or at the option of affected families, an amount equal to the benefits available under Second Schedule of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), shall be payable as rehabilitation and resettlement cost.

(2) Where the land is acquired by the State Government for projects other than the infrastructure projects such as road, power, irrigation, drinking water or for the safeguarding environment and forest, a lump sum amount equal to thirty per centum of the amount of compensation determined under section 14, or at the option of affected families, an amount equal to the benefits available under Second Schedule of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), shall be payable as rehabilitation and resettlement cost.

(3) Where the land is acquired by the State Government for private companies, the projects affected families shall have an option to receive either of the following:-

- (i) a lump sum amount equal to thirty per centum of the amount of compensation determined under section 14 as rehabilitation and resettlement cost; or**

(ii) an annuity of rupees five thousand per month for twenty years which shall be increased annually by an amount equal to five percent of the original amount of rupees five thousand; or

(iii) one time lump sum amount equal to rupees ten lacs:

Provided that in addition to above where the private company requires for the project established on such land unskilled labours, subject to availability, at least one member of each of the project affected family shall be given employment on priority basis and where skilled workers are required for such project, priority shall be given to at least one member of each of the project affected family up to ten percent of the total employment subject to their fulfilling minimum qualification for the employment.

(4) Where the acquisition process displaces an entire village, or a number of villages, the District Collector shall, in the alternative, resettle such village or villages, as the case may be, if the project affected families so desire and it is possible to do so, at any alternative land, preferably in command area of a river or a canal, or on land which is as near as possible and feasible to the affected village in the manner prescribed by the State Government.

CHAPTER [VI] IV PAYMENT

[50]24. **Payment of compensation or deposit of same with the Authority.-** (1) On making an award under section 12, the Collector shall tender payment of the compensation awarded by him to the persons interested entitled thereto by giving them a public notice and shall pay it to them unless prevented by some one or more of the contingencies mentioned in sub-section (2).

(2) If they shall not consent to receive it, or if they remain absent despite the public notice under sub-section (1), or if there be no person competent to alienate the land, or if there be any dispute

as to the title to receive the compensation or as to the apportionment of it, the Collector shall deposit the amount of the compensation with the Authority:

Provided that any person admitted to be interested may receive such payment under protest as to the sufficiency of the amount:

Provided further that no person who has received the amount otherwise than under protest shall be entitled to make any application under section ~~[37]~~41:

Provided also that nothing herein contained shall affect the liability of any person, who may receive the whole or any part of any compensation awarded under this Act, to pay the same to the person lawfully entitled thereto.

(3) Notwithstanding anything in this section, the Collector may, with the sanction of the State Government, instead of awarding a money compensation in respect of any land, make any arrangement with a person having a limited interest in such land, either by the grant of other lands in exchange, the remission of land-revenue on other lands held under the same title, or in such other way as may be equitable having regard to the interests of the parties concerned.

(4) Notwithstanding anything in this section, the Collector may, with the sanction of the State Government, instead of awarding a money compensation in respect of any land, make any arrangement with a person by the grant of developed land, or partly developed land, and partly money compensation, in lieu of compensation, in such proportions and in such class of cases as the State Government may prescribe by rules made in this behalf.

(5) Nothing in the sub-section (3) or sub-section (4) shall be construed to interfere with or limit the power of the Collector to enter into any arrangement with any person interested in the land and competent to contract in respect thereof.

[51]25. Investment of money deposited in respect of lands belonging to person incompetent to alienate.- (1) If any

money is deposited with the Authority under sub-section (2) of section [50]24 and it appears that the land in respect whereof the same was awarded belonged to any person who had no power to alienate the same, the Authority shall-

- (a) order the money to be invested in the purchase of other lands to be held under the like title and conditions of ownership as the land in respect of which such money have been deposited was held; or
- (b) if such purchase can not be effected forthwith, then in such Government or other approved securities as the committee consisting of the Chief Secretary to the State Government, Secretary-in-Charge of the Finance Department of the State Government, and an investment expert nominated by these two, may recommend, and shall direct the payment of the interest or other proceeds arising from such investment to the person or persons who would for the time being have been entitled to the possession of the said land, and such moneys shall remain so deposited and invested until the same be applied-
 - (i) in the purchase of such other lands as aforesaid; or
 - (ii) in payment to any person or persons becoming absolutely entitled thereto.

(2) In all cases of money deposited to which this section applies the Authority shall order the costs of the following matters, including therein all reasonable charges and expenses incident thereon, to be paid by the Collector, namely: -

- (a) the costs of such investments as aforesaid;
- (b) the costs of the orders for the payment of the interest or other proceeds of the securities upon which such moneys are for the time being invested, and for the payment out of the Authority of the principal of such moneys, and of all proceedings

relating thereto, except such as may be occasioned by litigation between adverse claimants.

[52]26. Investment of money deposited in other cases.- When any money is deposited with the Authority under this Act for any cause other than mentioned in the last preceding section, the Authority may, on the application of any party interested or claiming an interest in such money, order the same to be invested in such Government or other approved securities in the same manner as specified in the last preceding section, and paid in such manner as it may consider will give the parties interested therein the same benefit therefrom as they might have had from the land in respect whereof such money is deposited or as near thereto as may be.

[53]27. Payment of interest.- When the amount of such compensation is not paid or deposited on or before taking possession of the land, the Collector shall pay the amount awarded with interest thereon at the rate of **[nine] twelve** per centum per annum from the time of so taking possession until it is so paid or deposited [:].

[Provided that if such compensation or any part thereof is not paid or deposited within a period of one year from the date on which possession is taken, interest at the rate of fifteen per centum per annum shall be payable from the date of expiry of the said period of one year on the amount of compensation or part thereof which has not been paid or deposited before the date of such expiry.]

CHAPTER [IV] V

RAJASTHAN LAND ACQUISITION AUTHORITY

[24]28. Establishment of Land Acquisition Authority.- The State Government shall, for the purpose of speedy disposal of disputes relating to land acquisition, compensation, rehabilitation and resettlement, establish, by notification in the Official Gazette, an Authority to be known as "the Rajasthan Land Acquisition Authority" to exercise jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under this Act.

[25]29. Composition of Authority.- The Authority shall consist of one person only. The Presiding Officer shall be appointed, by notification in the Official Gazette, by the State Government.

[26]30. Qualifications for appointment as Presiding Officer.- (1) A person shall not be qualified for appointment as the Presiding Officer of the Authority unless, he is or has been a District Judge having at least **[ten]five** years' experience as such or is or has been an administrative officer for at least **[twenty years]twelve years'** and has experience of presiding officer of a revenue court.

(2) Where a serving District Judge is to be appointed as Presiding Officer, the State Government shall, before such appointment, consult the Chief Justice of the High Court.

[27]31. Terms of office of Presiding Officer.- The Presiding Officer of the Authority shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[28]32. Staff of the Authority.- (1) The State Government shall provide the Authority with a Registrar and such other officers and employees as it may think fit.

(2) The Registrar and other officers and employees of the Authority shall discharge their functions under the general superintendence and control of the Presiding Officer of the Authority.

(3) The salaries and allowances and other conditions of service of the Registrar and other officers and employees of an Authority shall be such as may be prescribed by the State Government.

[29]33. Salary and allowances and other terms and conditions of service of the Presiding Officers.- The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service, including pension, gratuity and other retirement benefits,

of the Presiding Officer of the Authority shall be such as may be prescribed by the State Government:

Provided that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Presiding Officer of the Authority shall be varied to his disadvantage after appointment.

[30]34. Filling up of vacancies.- If for any reason other than temporary absence, any vacancy occurs in the office of the Presiding Officer of the Authority, the State Government shall appoint another person in accordance with the provisions of this Act to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the Authority from the stage at which the vacancy is filled.

[31]35. Resignation and removal.- (1) The Presiding Officer of the Authority may, by notice in writing under his hand addressed to the State Government, resign his office:

Provided that the Presiding Officer shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earlier.

(2) The Presiding Officer of the Authority may be removed from his office by an order made by the State Government on the ground of proven misbehaviour or incapacity after inquiry made by a Judge of a High Court or an officer not below the rank of a Secretary to the Government of India in which the Presiding Officer concerned has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of these charges.

(3) The State Government may, by rules, regulate the procedure for the investigation of misbehaviour or incapacity of the aforesaid Presiding Officer.

[32]36. Orders constituting the Authority to be final and not to invalidate its proceedings.- No order of the State Government appointing any person as the Presiding Officer of the

Authority shall be called in question in any manner, and no act or proceeding before the Authority shall be called in question in any manner on the ground merely of any defect in the constitution of the Authority.

[33]37. Powers of authority and procedure before it.- (1) The Authority shall, for the purposes of its functions under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning of any public record;
- (e) issuing commission for the examination of witnesses;
- (f) reviewing its decisions, directions and orders;
- (g) any other matter which may be prescribed.

(2) The Authority shall have original jurisdiction to adjudicate upon every reference made to it under this Act.

(3) The Authority shall not be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and the provisions of this Act and of any rules made thereunder.

(4) The Authority shall, after receiving the reference and after giving notice of such reference to all parties concerned and after affording opportunity of hearing to all parties, dispose of such reference within a period of six months from the date of receipt of such reference and make an award accordingly.

(5) The Authority shall arrange to deliver copies of the award to the parties concerned within a period of fifteen days from the date of such award and shall also upload a copy of the award on its website.

[34]38. Proceedings before the Authority to be judicial proceedings.- All proceedings before the Authority shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) and the Authority shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

[35]39. Members and officers of Authority to be public servants.- The Presiding Officer and officers including staff of the Authority shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

[36]40. Jurisdiction of civil courts barred.- No civil court (other than High Court under article 226 or article 227 of the Constitution or the Supreme Court) shall have jurisdiction to entertain any dispute relating to land acquisition in respect of which the Collector or the Authority is empowered by or under this Act, and no injunction shall be granted by any court in respect of any such matter.

[37]41. Reference to Authority.- (1) Any person interested who has not accepted the award may, by written application to the Collector, require that the matter be referred by the Collector for the determination of the Authority, whether his objection be to the measurement of the land, the amount of compensation, the person to whom it is payable, or the apportionment of the compensation among the persons interested:

Provided that the Collector shall, within a period of thirty days from the date of receipt of application, make a reference to the Authority:

Provided further that where the Collector fails to make such reference within the period so specified, the applicant may apply to the Authority requesting it to direct the Collector to make the reference to it within a period of thirty days.

(2) The application shall state the grounds on which objection to the award is taken:

Provided that every such application shall be made-

- (a) if the person making it was present or represented before the Collector at the time when he made his award, within six weeks from the date of the Collector's award;
- (b) in other cases, within six weeks of the receipt of the notice from the Collector under sub-section (2) of section 16 or within six months from the date of the Collector's award, whichever period expires first.

[38]42. Collector's statement to Authority.- (1) In making the reference, the Collector shall state for the information of the Authority, in writing under his hand,-

- (a) the situation and extent of the land, with particulars of any trees, buildings or standing crops thereon;
- (b) the names of the persons whom he has reason to believe interested in such land;
- (c) the amount awarded for damages and paid or tendered under section 6 and 22, and the amount of compensation awarded under section 12;
- (d) the amount paid or deposited under sub-section (3) of section 22; and
- (e) if the objection be to the amount of the compensation, the grounds on which the amount of compensation was determined.

(2) The statement under sub-section (1) shall contain a schedule giving the particulars of the notices served upon, and of the statements in writing made or delivered by, the persons interested respectively.

[39]43. Service of notice by the Authority.- The Authority shall thereupon cause a notice specifying the day on which the Authority will proceed to determine the objection, and directing their appearance before the Authority on that day, to be served on the following persons, namely:-

- (a) the applicant;

- (b) all persons interested in the objection, except such, if any, of them as have consented without protest to receive payment of the compensation awarded; and
- (c) if the objection is in regard to the area of the land or to the amount of the compensation, the Collector.

[40]44. Restriction on scope of proceedings.- The scope of the enquiry in every such proceeding shall be restricted to a consideration of the interest of the persons affected by the objection.

[41]45. Proceedings to be in public.- Every such proceeding shall take place in public and all persons entitled to practice in any Civil Court in the State shall be entitled to appear, plead and act, as the case may be, in such proceeding.

[42]46. Determination of award by the Authority.- In determining the amount of compensation to be awarded for land acquired including the Rehabilitation and Resettlement entitlements, the Authority shall take into consideration whether the Collector has followed the parameters set out under the provisions of this Act and determine the compensation in accordance with the provisions of section 14 and Rehabilitation and Resettlement entitlement in accordance with the provisions of section 23.

[43]47. Form of award.- (1) Every award under this Chapter shall be in writing signed by the Presiding Officer of the Authority, and shall specify the amount awarded, together with the grounds of awarding the said amount.

(2) Every such award shall be deemed to be a decree and the statement of the grounds of every such award a judgment within the meaning of clause (2), and clause (9), respectively, of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).

[44]48. Costs.- (1) Every such award shall also state the amount of costs incurred in the proceedings under this Chapter and by what persons and in what proportions they are to be paid.

(2) When the award of the Collector is not upheld, the cost shall ordinarily be paid by the Collector, unless the Authority is of the opinion that the claim of the applicant was so extravagant or that he was so negligent in putting his case before the Collector that some deduction from his costs should be made or that he should pay a part of the costs.

[45]49. Collector may be directed to pay interest on excess compensation.- If the sum, which in the opinion of the Authority, the Collector ought to have awarded as compensation, is in excess of the sum which the Collector did award as compensation, the award of the Authority may direct the Collector to pay interest on such excess at the rate of nine per centum per annum from the date on which he took possession of the land to the date of payment to the Authority:

Provided that the award of the Authority may also direct that where such excess or any part thereof is paid to the Authority after the date or expiry of a period of one year from the date on which possession is taken, interest at the rate of fifteen per centum per annum shall be payable from the date of expiry of the said period of one year on the amount of such excess, or part thereof, which has not been paid to the Authority before the date of such expiry.

[46]50. Re-determination of amount of compensation on the basis of the award of the Authority.- (1) Where in an award under this Chapter, the Authority allows to the applicant any amount of compensation in excess of the amount awarded by the Collector under section 12, the persons interested in all the other land covered by the same preliminary notification under section 5 and who are also aggrieved by the award of the Collector may notwithstanding that they had not made an application to the Collector, by written application to the Collector within three months from the date of the award of the Authority, require that the amount of compensation payable to them may be re-determined on the basis of the amount of compensation awarded by the Authority:

Provided that in computing the period of three months within which an application to the Collector shall be made under this sub-section, the day on which the award by the Authority was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of the award shall be excluded.

(2) The Collector shall, on receipt of an application under sub-section (1), conduct an inquiry after giving notice to all the persons interested and giving them a reasonable opportunity of being heard and make an award determining the amount of compensation payable to the applicants.

(3) Any person who has not accepted the award under sub-section (2) may, by written application to the Collector, require that the matter be referred by the Collector for the determination of the Authority.

[47]51. Appeal to High Court.- (1) Any person aggrieved by an award passed by the Authority under section **[42]46** may file an appeal to the High Court within sixty days from the date of Award:

Provided that the High Court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding sixty days.

(2) Every appeal referred to under sub-section (1) shall be heard as expeditiously as possible and endeavour shall be made to dispose of such appeal within six months from the date on which the appeal is presented to the High Court.

CHAPTER [V] VI

APPORTIONMENT OF COMPENSATION

[48]52. Particulars of apportionment to be specified.- When there are several persons interested, if such persons agree in the apportionment of the compensation, the particulars of such apportionment shall be specified in the award, and as between such persons the award shall be conclusive evidence of the correctness of the apportionment.

[49]53. Dispute as to apportionment.- When the amount of compensation has been settled under section 12, if any dispute arises as to the apportionment of the same or any part thereof, or as to the persons to whom the same or any part thereof, is payable, the Collector may refer such dispute to the decision of the Authority.

CHAPTER VII

TEMPORARY OCCUPATION OF LAND

54. Temporary occupation of waste or arable land and procedure when difference as to compensation exists.-(1) Whenever it appears to the State Government that the temporary occupation and use of any waste or arable land are needed for any public purpose, the State Government may direct the Collector to procure the occupation and use of the same for such term, as it thinks fit, not exceeding three years from the commencement of such occupation.

(2) The Collector shall thereupon give notice in writing to the persons interested in such land of the purpose for which the same is needed and shall, for the occupation and use thereof for such term as aforesaid, and for the materials, if any, to be taken therefrom, pay to them such compensation, being not less than one and half time of the market value of the land so occupied or used, or the net value of the produce which, but for such occupation or use, the persons interested would have got from such land, whichever is higher, either in a gross sum of money, or by monthly or other periodical payments, as is agreed upon in writing between him and such persons respectively.

(3) In case the Collector and the persons interested differ as to the sufficiency of the compensation or apportionment thereof, the Collector shall refer such difference to the decision of the Authority.

55. Power to enter and take possession and compensation on restoration.- (1) On payment of such compensation, or on executing such agreement, or on making a

reference under section 54, the Collector may enter upon and take possession of the land, and use or permit the use thereof in accordance with the terms of the said notice.

(2) On the expiration of the term, the Collector shall make or tender to the persons interested compensation for the damage, if any, done to the land and not provided for by the agreement, and shall restore the land to the persons interested therein:

Provided that, if the land has become permanently unfit to be used for the purpose for which it was used immediately before the commencement of such term, and if the persons interested so require, the State Government shall proceed under this Act to acquire the land as if it was needed permanently for a public purpose.

56. Difference as to condition of land.- In case the Collector and persons interested differ as to the condition of the land at the expiration of the term, or as to any matter connected with the said agreement, the Collector shall refer such difference to the decision of the Authority.

CHAPTER VIII

ACQUISITION OF RIGHTS OF USER IN LAND

57. Acquisition of rights of user in land.- (1) Whenever it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for-

- (a) erecting pillars or posts for elevated roads, pipelines of water, gas, sewage, etc. or electricity lines or communication cables;
- (b) laying underground pipelines for transportation of minerals, water, gas, sewage, etc.;
- (c) laying underground cables for electricity supply or communication facilities, it is necessary to acquire the right of user in any land on which such pillars or posts may be erected or under which such pipelines or cables may be laid, it may, by notification in the

manner specified in section 5, declare its intention to acquire the right of user therein.

(2) Thereupon it shall be lawful for any person, either generally or specially authorized by the State Government in this behalf, and for his servants and workmen,-

- (i) to enter upon and survey and take levels of any land specified in the notification;
- (ii) to dig or bore into the sub-soil;
- (iii) to set out the intended line of the work;
- (iv) to make such levels, boundaries and line by placing marks and cutting trenches;
- (v) where otherwise the survey cannot be completed and the levels taken and the boundaries and line marked, to cut down and clear away any part of any standing crop, fence or jungle; and
- (vi) to do all other acts necessary to ascertain whether pillars or posts can be erected or pipelines or cables can be laid under the land:

Provided that while exercising any power under this section, such person or any servant or workman of such person shall cause as little damage or injury as possible to such land.

58. Hearing objections and declaration of acquisition of right of user.- (1) Any person interested in the land may, within **[twenty-one] thirty** days from the date of the publication of the notification under sub-section (1) of section 57, object to the erecting of pillars or post on, or laying of the pipelines or cables under, the land, as the case may be.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the Collector in writing and shall set out the grounds thereof, and the Collector shall give the objector an opportunity of being heard in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, by order allow or disallow the objection.

(3) Where no objections under sub-section (1) have been made within the period specified therein or where the objections have been disallowed under subsection (2), the Collector shall, as soon as may be, either make a report of the land described in the notification under sub-section (1) of section 57, or make different reports in respect of different parcels of such land, to the State Government containing his recommendations on the objections together with the record of the proceedings held by him, for the decision of the State Government and upon receipt of such report the State Government shall, if satisfied that such land is required for one or more of the purposes specified in sub-section (1) of section 57, declare by notification in the Official Gazette that the right of user in the land should be acquired for the said purposes and different declarations may be made from time to time in respect of different parcels of the land described in the notification issued under sub-section (1) of section 57, irrespective of whether one report or different reports have been made by the Collector under this sub-section.

(4) On publication of the declaration under sub-section (3), the right of user in the land specified therein shall vest absolutely in the State Government free from all encumbrances.

59. Use of land by the State Government.- Where the right of user in any land has vested in the State Government under section 58,-

- (a) it shall be lawful for any person authorized by the State Government and his servants and workmen to enter upon the land and erect pillars or posts, or lay pipelines or cables, as the case may be, or to do any act necessary for, or incidental to, erecting such pillars or posts or laying pipelines or cables.
- (b) such land shall be used only for erecting pillars or posts, or laying pipelines or cables, as the case may be, and for maintaining, examining, repairing, altering or removing any pillar or post, or any structure or line

thereon, or pipeline or cable, as the case may be, or for doing any other act necessary for, or incidental to, any aforesaid purposes or for utilization of such pillars, posts, pipelines, or cables, as the case may be.

60. Power to enter land for inspection, etc.- For maintaining, examining, repairing, altering or removing any pillar or post, or any structure or line thereon, or pipeline or cable, as the case may be, or for doing any other act necessary for, or incidental to, any aforesaid purposes or for utilization of such pillars, posts, pipelines, or cables, as the case may be, or making any inspection or measurement for any of the aforesaid purposes, any person authorized in this behalf by the State Government may, after giving reasonable notice to the occupier of the lands upon which entry is necessary to have access to the aforesaid works, enter thereon with such servants and workmen as may be necessary:

Provided that where such person is satisfied that an emergency exists, no such notice shall be necessary:

Provided further that while exercising any power under this section, such person or any servant or workman of such person shall cause as little damage or injury as possible to such land.

61. Restriction regarding the use of land.- (1) The owner or occupier of the land with respect to which a declaration has been made under sub-section (1) of section 58, may use the land for the purpose for which such land was put to use immediately before the date of the notification under sub-section (1) of section 57:

Provided that such owner or occupier shall not, after the declaration under subsection (1) of section 58,-

- (i) construct any building or any other structure;
- (ii) construct or excavate any tank, well, reservoir or dam; or
- (iii) plant any tree, on that land.

(2) The owner or occupier of the land on which any pillar or post has been erected or under which any pipeline or cable has been laid, shall not do any act or permit any act to be done which

will or is likely to cause any damage in any manner whatsoever to the pillar, post, pipeline or cable, as the case may be.

(3) Where the owner or occupier of the land with respect to which a declaration has been made under sub-section (1) of section 58-

- (a) constructs any building or any other structure;
- (b) constructs or excavates any tank, well, reservoir or dam; or
- (c) plants any tree, on the land, the Collector may, after holding such inquiry as it may deem fit cause the building, structure, reservoir, dam or tree to be removed or the well or tank to be filled up, and the costs of such removal or filling up shall be recoverable from such owner or occupier as an arrear of land revenue.

62. Compensation for acquisition of right of user in land.- (1) Where in the exercise of the powers conferred by section 57, 59 or 60, any damage, loss or injury is sustained by any person interested in the land on which the pillar or post is proposed to be, or is being, or has been erected, or under which the pipeline or cable is proposed to be, or is being, or has been, laid, the State Government shall be liable to pay compensation to such person for such damage, loss or injury, the amount of which shall be determined by the Collector.

(2) Where the right of user of any land has been vested in the State Government, it shall, in addition to the compensation, if any, payable under subsection (1), be liable to pay to the owner and to any other person whose right of enjoyment in that land has been affected in any manner whatsoever by reason of such vesting, compensation calculated at fifty per centum of the market value of that land on the date of the notification under sub-section (1) of section 57:

Provided that in respect of the area of land covered by any pillar or post, or any structure or line thereon or covered by any

wall or fencing erected for the safety of any of the works specified in sub-section (1) of section 57, the compensation shall be calculated in accordance with the provisions of section 14.

(3) The provisions of this Act relating to apportionment, deposit and payment of compensation and reference to the Authority and appeal to the High Court shall apply mutatis mutandis to the compensation under this section.

CHAPTER IX

ACQUISITION OF LAND FOR COMPANIES

63. Industrial concern to be deemed company for certain purposes.- An industrial concern, ordinarily employing in direct employment at least ninety-nine workmen or such greater number of workmen as may be notified by the State Government from time to time, owned by an individual or by an association of individuals and not being a company, desiring to acquire land for the erection of dwelling houses for workmen employed by the concern or for the provision of amenities directly connected therewith shall, so far as concerns the acquisition of such land, be deemed to be a company for these purposes of this Chapter and the references to company under this Act shall be interpreted as references also to such concern.

64. Previous consent of State Government and execution of agreement necessary.-The provisions of sections 8 to 21 (both inclusive) [and sections 37 to 53], sections 24 to 27(both inclusive) and sections 41 to 53 (both inclusive) shall not be put in force in order to acquire land for any company under this Act, unless with the previous consent of the State Government, and not unless the company shall have executed the agreement hereinafter mentioned:

Provided that no such consent shall be given to a company if there are outstanding of taxes or interests thereon due to the State Government from such a company, or from any other sister concern in which there are substantial cross interests.

65. Previous enquiry.- (1) Such consent shall not be given unless-

- (a) the consent of the persons interested required under section 2 has been obtained; and
- (b) the State Government is satisfied, either on the report of the Collector under sub-section (2) of section 7 or by an enquiry held as hereinafter provided;
 - (i) that the purpose of the acquisition is to obtain land for the erection of dwelling houses for workmen employed by the company or for the provision of amenities directly connected therewith; or
 - (ii) that such acquisition is needed for the construction of some building or work for a Company which is engaged or is taking steps for engaging itself in any industry or work which is for a public purpose; or
 - (iii) that such acquisition is needed for the construction of some work, which is likely to prove useful to the public.

(2) The enquiry under clause (b) of sub-section (1) shall be held by such officer and at such time and place as the State Government may appoint.

(3) The officer appointed under sub-section (2) may summon and enforce the attendance of witnesses and compel the production of documents by the same means and, as far as possible, in the same manner as is provided by the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) in the case of a Civil Court.

66. Agreement with State Government.- If the State Government is satisfied after considering the report, if any, of the Collector under sub-section (2) of section 7, or on the report of the officer making an inquiry under clause (b) of sub-section (1) of section 65 that the proposed acquisition is for any of the purposes

referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of section 65, it shall require the company to enter into an agreement with the State Government, providing to the satisfaction of the State Government for the following matters, namely :-

- (a) the payment to the State Government of the cost of the acquisition;
- (b) the transfer, on such payment, of the land to the company;
- (c) the terms on which the land shall be held by the company;
- (d) where the acquisition is for the purpose of erecting dwelling houses or the provision of amenities connected therewith, the time within which, the conditions on which and the manner in which the dwelling houses or amenities shall be erected or provided;
- (e) where the acquisition is for the construction of any building or work for a company which is engaged or is taking steps for engaging itself in any industry or work which is for a public purpose, the time within which, and the conditions on which, the building or work shall be constructed or executed; and
- (f) where the acquisition is for the construction of any other work, the time within which and the conditions on which the work shall be executed and maintained and the terms on which the public shall be entitled to use the work:

Provided that such agreement shall be signed only on payment, before or at the time of signing the agreement, of an amount equal to ten per centum of the estimated cost of the acquisition, and this amount shall be held by the State Government as security till the entire compensation is paid.

67. Publication of agreement.- Every such agreement shall, as soon as may be after its execution, be published in the Official Gazette, and shall thereupon (so far as regards the terms on which the public shall be entitled to use the work) have the same effect as if it had formed part of this Act.

68. Restriction on transfer, etc.- No company for which any land is acquired under this Chapter shall be entitled to transfer the said land or any part thereof by sale, mortgage, gift, lease or otherwise, except with the previous sanction of the State Government.

69. Land not to be acquired under this Chapter except for certain purpose for private companies other than Government companies.- Notwithstanding anything contained in this Act, no land shall be acquired under this Chapter, except for the purpose mentioned in sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 65, for a private company, which is not a Government company.

CHAPTER X MISCELLANEOUS

70. Service of notices.- (1) Service of any notice under this Act shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed, in the case of a notice under section 5, by the officer therein mentioned, and, in the case of any other notice, by or by order of the Collector or the Authority.

(2) Whenever it may be practicable, the service of the notice shall be made on the person therein named.

(3) When such person cannot be found, the service may be made on any adult member of his family residing with him; and, if no such adult member can be found, the notice may be served by affixing the copy on the outer door of the house in which the person therein named ordinarily dwells or carries on business, or by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the office of the officer aforesaid or of the Collector or of the Authority, or in some conspicuous part of the land to be acquired or publishing a notice through the news papers circulating in that locality :

Provided that, if the Collector or the Authority so directs, a notice may be sent by speed or registered post, in a letter addressed to the person named therein at his last known residence, address or place of business and service of it may be proved by the production of the addressee's receipt.

[71. Penalty for obstructing acquisition of land.- Whoever wilfully obstructs any person in doing any of the acts authorized by section 5 or section 9, or willfully fills up, destroys, damages or displaces any trench or mark made under section 5, shall, on conviction before a Magistrate, be liable to imprisonment for a term which shall not be less than three months but may extend to six months, or to a fine which shall not be less than ten thousand rupees but may extend to rupees three lakh, or to both.]

71. Return of unutilized land.- When any land acquired under this Act remains unutilized for a period of five years from the date of taking over the possession, the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank of the State Government by reversion in the manner as may be prescribed by the State Government.

[72. Offences by companies.- (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

73. Offences to be cognizable only on complaint filed by the Collector.- No court shall take cognizance of any offence under this Act which is alleged to have been committed except on a complaint in writing made by the Collector.]

[74]72. Magistrate to enforce surrender.- If the Collector is opposed or impeded in taking possession under this Act of any land, he shall, if a Magistrate, enforce the surrender of the land to himself, and if not a Magistrate, he shall apply to a Magistrate or (within the towns where Commissioner of Police system prevails) to the Commissioner of Police, and such Magistrate or Commissioner, as the case may be, shall enforce the surrender of the land to the Collector.

[75]73. Completion of acquisition not compulsory, but compensation to be awarded when not completed.- (1) Except in the case provided for in section 55, the State Government shall be at liberty to withdraw from the acquisition of any land of which possession has not been taken.

(2) Whenever the State Government withdraws from any such acquisition, the Collector shall determine the amount of compensation due for the damage suffered by the owner in consequence of the notice or of any proceedings thereunder, and shall pay such amount to the person interested, together with all costs reasonably incurred by him in the prosecution of the proceedings under this Act relating to the said land.

(3) The provisions of section ~~[37]~~41 to section ~~[46]~~50 (both inclusive) shall apply, so far as may be, to the determination of the compensation payable under this section.

~~[76]~~74. Acquisition of part of house or building.- (1) The provisions of this Act shall not be put in force for the purpose of acquiring a part only of any house, manufactory or other building, if the owner desires that the whole of such house, manufactory or building shall be so acquired:

Provided that the owner may, at any time before the Collector has made his award under section 12, by notice in writing, withdraw or modify his expressed desire that the whole of such house, manufactory or building shall be so acquired:

Provided further that, if any question arises as to whether any land proposed to be taken under this Act does or does not form part of a house, manufactory or building within the meaning of this section, the Collector shall refer the determination of such question to the Authority and shall not take possession of such land until after the question has been determined.

(2) In deciding on such a reference, the Authority shall have regard to the question whether the land proposed to be taken, is reasonably required for the full and unimpaired use of the house, manufactory or building.

(3) Where the acquisition of a land is likely to result in severance of the land of the person interested from his other land, the State Government may, if the person interested so desires, at any time before the Collector has made his award, order the acquisition of the whole of the land of which the land first sought to be acquired forms a part.

(4) In the case provided for in sub-section (3), no fresh declaration or other proceedings under sections 8 to 11 (both inclusive) shall be necessary; but the Collector shall without delay furnish a copy of the order of the State Government to the person interested, and shall thereafter proceed to make his award under section 12.

[77]75. Acquisition of land at cost of a local authority or a company.- (1) Where the provisions of this Act are put in force for the purpose of acquiring land at the cost of any fund controlled or managed by a local authority or of any corporation owned or controlled by the State or of any company, the charges of, and incidental to, such acquisition shall be defrayed from or by such fund or company.

(2) In any proceeding held before a Collector or the Authority in such cases the local authority or corporation owned or controlled by the State or company concerned may appear and adduce evidence for the purpose of determining the amount of compensation:

Provided that no such local authority or corporation owned or controlled by the State or company shall be entitled to demand a reference under section **[37]41**.

[78]76. Option of the State Government to lease.- Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government shall, wherever possible, be free to exercise the option of taking the land on lease **with the consent of the land owner**, instead of acquisition, for any public purpose referred to in this Act.

[79]77. Exemption from Stamp Duty and fees.- No award or agreement made under this Act shall be chargeable with stamp duty, and no person claiming under any such award or agreement shall be liable to pay any fee for a copy of the same.

[80]78. Acceptance of certified copy as evidence.- In any proceeding under this Act, a certified copy of a document registered under the Registration Act, 1908 (Central Act No.16 of 1908), including a copy given under section 58 of that Act, may be accepted as evidence of the transaction recorded in such document.

[81]79. Notice in case of suits for anything done in pursuance of Act.- No suit or other proceeding shall be commenced or prosecuted against any person for anything done in pursuance of this Act, without giving to such person a thirty days'

previous notice in writing of the intended proceeding, and of the cause thereof, nor after tender of sufficient amends.

[82]80. Power to make rules.- (1) The State Government may make rules to carry out the provisions of this Act and for the guidance of officers in all matters connected with its enforcement, and may from time to time alter and add to the rules so made.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done thereunder.

(3) The power to make, alter and add to rules under subsection (1) shall be subject to the conditions of the rules, being made, altered or added to after previous publication.

(4) All such rules, alterations and additions shall be published in the Official Gazette, and shall thereupon have the force of law.

[83]81. Repeal and Savings.- (1) The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), in its application to the State of Rajasthan, is **[hereby] save as otherwise provided in this Act,** repealed to the extent it pertains to the matters of land acquisition specified in section 2.

(2) Notwithstanding such repeal, any proceeding of land acquisition relating to the matters specified in section 2, initiated under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 1 of 1894) or the Right to Fair Compensation and Transparency in Land

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013) and pending immediately before the commencement of this Act shall continue, and may be completed, under the corresponding provisions of this Act.

(3) Save as provided in sub-section (2), the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall apply to the repeal under sub-section (1).
